डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-38, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

9 अप्रैल 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

सुशासन तिहार 2025: पारदर्शिता, संवाद और समाधान की नई पहल

मुख्यमंत्री ने दिए आयोजन के निर्देश, तीन चरणों में होगा जनसंवाद और समाधान

छत्तीसगढ़ में सुशासन अब घर-घर पहुँचेगा, सीधे संवाद करेगा और मौके पर समाधान देगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने "सुशासन तिहार-2025" के आयोजन की घोषणा करते हुए इसे शासन और जनता के बीच विश्वास और जवाबदेही का नया सेतु बताया है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को आयोजन के तीन चरणों की विस्तृत रूपरेखा जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि यह अभियान जनता की भागीदारी से सफल बनाया जाए। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और उसकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान हो, यही सुशासन का मूल उद्देश्य है। "सुशासन तिहार" के अंतर्गत गाँवों और शहरों में समाधान पेटियों के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे, फिर विभागीय स्तर पर निराकरण किया जाएगा और अंत में पंचायत व शहरी क्षेत्रों में समाधान शिविर आयोजित होंगे।

सुशासन तिहार

पहला चरण आवेदन संग्रह
(8 अप्रैल -11 अप्रैल 2025)

- ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में "समाधान पेटी"
- हाट बाजारों, कॉमन सर्विस सेंटर व पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन
- आवेदन कोड सहित प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएंगे
- ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी

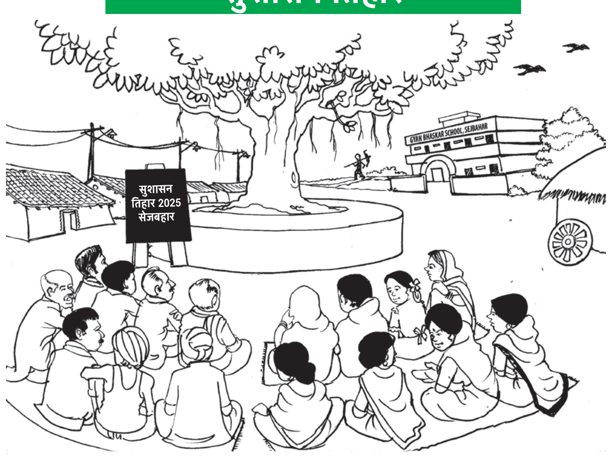

दूसरा चरण निराकरण प्रक्रिया
(12 अप्रैल – 4 मई 2025)

- सभी आवेदन स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे
- संबंधित विभागों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजा जाएगा
- लगभग एक माह में आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित
- गुणवत्ता की समीक्षा जिला व राज्य स्तर पर

तीसरा चरण समाधान शिविर (5 मई – 31 मई 2025)

- प्रत्येक 8-15 पंचायतों के समूह में समाधान शिविर ▪ नगरीय क्षेत्रों में भी शिविरों का आयोजन ▪ SMS व पावती के माध्यम से आवेदकों को सूचना ▪ मौके पर ही समस्याओं का समाधान, शेष का समयबद्ध निराकरण

मुख्यमंत्री व अधिकारियों की भागीदारी

- मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव व प्रभारी सचिव शिविरों में रहेंगे उपस्थित ▪ जनता से सीधा संवाद और समाधान की निगरानी ▪ स्थानीय सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

विकास कार्यों का औचक निरीक्षण

- मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री प्रदेश में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे।
- लाभार्थियों से योजनाओं का फीडबैक लिया जाएगा।

समीक्षा बैठक और संवाद

- दोपहर में जिला मुख्यालयों में समीक्षा बैठक ▪ समाधान शिविरों की स्थिति व योजनाओं की समीक्षा ▪ प्रेसवार्ता व नागरिकों-संगठनों से भेंट का कार्यक्रम भी शामिल हैं।

नक्सल-मुक्त गांव को मिलेगा एक करोड़ रुपए की विशेष विकास निधि

बस्तर की पावन धरती पर आयोजित ऐतिहासिक 'बस्तर पंडुम 2025' का समापन समारोह दंतेवाड़ा में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास और पुनर्वास की दिशा में कई ऐतिहासिक घोषणाएं कीं। श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि जो गांव नक्सलवाद को समाप्त करने में सहयोग करेंगे, उन्हें "नक्सल-मुक्त गांव" घोषित किया जाएगा और प्रत्येक गांव को 1 करोड़ रुपये की विशेष विकास निधि प्रदान की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे ग्राम सभाएं

आयोजित कर आत्मसमर्पण की प्रक्रिया में भागीदार बनें। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर अब बदल रहा है, और यह बदलाव स्थायी होगा।

'बस्तर पंडुम 2025' की विस्तृत खबर पेज 23 पर

व्यापार को सहजता, जनता को राहत और नक्सल प्रभावित जिलों को विकास की नई राह

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों, मध्यमवर्गीय परिवारों और नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सरकार ने ई-वे बिल की सीमा 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी है, पेट्रोल पर वैट में 1 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है और सुकमा, बीजापुर व नारायणपुर में 'जिला निर्माण समिति' का गठन किया है।

व्यापारियों को राहत

छत्तीसगढ़ में अब 1 लाख रुपए तक के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की

आवश्यकता नहीं होगी। पहले यह सीमा 50,000 रुपए थी। इससे छोटे व्यापारियों को अनुपालन प्रक्रिया में आसानी होगी और व्यापारिक गतिविधियां सुगम होंगी। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से ई-वे बिल जनरेशन में 54% की कमी आएगी और राज्य के 26% व्यापारी इससे सीधे लाभान्वित होंगे। हालांकि, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, प्लायवुड, आयरन-स्टील, कोयला जैसे कुछ विशेष उत्पादों पर यह छूट लागू नहीं होगी।

'जिला निर्माण समिति' का गठन

छत्तीसगढ़ सरकार ने सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में 'जिला निर्माण समिति' के गठन की घोषणा की है। इस समिति का उद्देश्य नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे निर्माण कार्यों की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

पीएम की सौगात

छत्तीसगढ़ में 8741 करोड़ की 'खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल परियोजना' को केंद्र की मंजूरी,

"यह नई रेल लाइन.. छत्तीसगढ़ के भविष्य की पटरी है" – मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को एक ऐसी सौगात मिली है, जो राज्य के औद्योगिक नक्शे को पूरी तरह से बदल देगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 8741 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 'खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा 5वीं एवं 6वीं रेल लाइन' परियोजना को स्वीकृति दे दी है। यह परियोजना न केवल राज्य के 8 प्रमुख जिलों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स, पर्यावरण और रोजगार के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।

'खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा 5वीं एवं 6वीं रेल लाइन' परियोजना

- लागत: 8741 करोड़
- कुल लंबाई: 278 किमी (615 किमी ट्रैक)
- स्टेशन: 21
- इन्फ्रास्ट्रक्चर: 48 बड़े पुल, 349 छोटे पुल, 14 आरओबी, 184 आरयूबी, 5 रेल फ्लाईओवर

- ट्रैफिक क्षमता: 21-38 मिलियन टन कार्गो
- 8 मेल/एक्सप्रेस/सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें
- पर्यावरणीय लाभ: 22 करोड़ लीटर डीज़ल की बचत प्रति वर्ष
- 113 करोड़ किग्रा CO उत्सर्जन में कमी

इन जिलों को सीधा लाभ

रायगढ़, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, बलौदा बाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव

पीएम श्री मोदी का जताया आभार

"यह परियोजना छत्तीसगढ़ के लिए केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं है, बल्कि औद्योगिक क्रांति की नई शुरुआत है। इससे बलौदा बाजार जैसे क्षेत्रों को सीधी रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी और हमारे युवाओं को रोज़गार, स्वरोज़गार और उद्यमिता के अनगिनत अवसर मिलेंगे।"

श्री विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

अच्छी खबर

छत्तीसगढ़ बना देश में जीएसटी राजस्व वृद्धि का अग्रणी राज्य

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16,390 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह कर 18% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। यह उपलब्धि राज्य को जीएसटी राजस्व वृद्धि दर में देशभर में प्रथम स्थान पर स्थापित करती है। इस क्रम में महाराष्ट्र 16% और तमिलनाडु 15% की वृद्धि दर के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यह केवल राजस्व वृद्धि नहीं, बल्कि ईमानदारी और पारदर्शिता पर आधारित सुशासन की पहचान है।

रिक्रूटमेंट नोटिस

एग्जिम बैंक
पदः मैनेजमेंट ट्रेनी सहित अन्य
पद संख्याः 28
अंतिम तिथिः 15 अप्रैल 2025
www.eximbankindia.in

BHU
पदः ग्रुप सी
पद संख्याः 199
अंतिम तिथिः 17 अप्रैल 2025
bhu.ac.in

CSBC
पदः कॉन्स्टेबल सहित अन्य
पद संख्याः 19838
अंतिम तिथिः 18 अप्रैल 2025
csbc.bih.nic.in

BSSC
पदः सब-स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर
पद संख्याः 682
अंतिम तिथिः 19 अप्रैल 2025
bssc.bihar.gov.in

OPSC
पदः मेडिकल ऑफिसर
पद संख्याः 5248
अंतिम तिथिः 24 अप्रैल 2025
opsc.gov.in

एनएचएसआरसीएल
पदः जूनियर टेक्निकल मैनेजर
पद संख्याः 71
अंतिम तिथिः 24 अप्रैल 2025
nhsrcl.in

ASRB NET 2025
पदः ARS सहित अन्य
पद संख्याः 582
अंतिम तिथिः 21 मई 2025
asrb.org.in

वर्ष-22, अंक-38, रायपुर
रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक : डॉ. रवि मित्तल
संपादक : जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक : गीतांजलि नेताम
संपादकीय : संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइनर : धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर : अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था : विक्रांत

- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgaraurniyojan@gmail.com

रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

दंतेवाड़ा आगमन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वागत किया...

छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल में आई रोशनी की नई किरण

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की 'नियद नेल्ला नार योजना' से पुसकोंटा को मिली नई सौगात

बीजापुर जिले के हीरापुर ग्राम पंचायत के आश्रित गांव पुसकोंटा में कभी घना अंधेरा, टेढ़े-मेढ़े रास्ते और मूलभूत सुविधाओं की कमी जीवन का हिस्सा था। लेकिन अब मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित 'नियद नेल्ला नार योजना' ने इस गांव की तस्वीर बदल दी है। वर्षों से बिजली का इंतजार कर रहे ग्रामीणों के घरों में जब पहला बल्ब जला, तो यह सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। गांव के निवासी देवा कुंजाम कहते हैं, "पहले अंधेरा इतना घना होता था कि बाहर निकलना मुश्किल था। जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन अब गांव में बिजली आ गई है, जिससे सुरक्षा और सहूलियत दोनों बढ़ी हैं।"

पुसकोंटा की बदली तस्वीर

हर घर में शुद्ध पेयजल

गृहिणी जमुना मिच्छा बताती हैं, "पहले पानी के लिए दूर हैंडपंप तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल कनेक्शन मिलने से अब यह परेशानी खत्म हो गई है। अब मैं घर और बच्चों का भी ठीक से ध्यान रख पाती हूं।"

सपनों को पंख दे रहा

ग्रामीण भीमा माड़वी के लिए यह बदलाव खास मायने रखता है। वे पहली बार रायपुर गए और वहां का विकास देखकर उत्साहित हैं। वे कहते हैं, "मुख्यमंत्री की पहल से अब दूरदराज के ग्रामीण भी विकास की धारा से जुड़ रहे हैं।"

आत्मनिर्भरता की नई राह

'नियद नेल्ला नार योजना' सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं अब पुसकोंटा तक पहुंच रही हैं। यह बदलाव सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं, बल्कि सम्मान और स्वावलंबन की नई सुबह लेकर आया है।

क्या है नियद नेल्ला नार

"नियद नेल्ला नार" Niyad Nella Nar' का अर्थ होता है "आपका अच्छा गांव" Your Happy Village। यह वाक्य छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में बोली जाने वाली बोलियों से लिया गया है। यहाँ पर नार का अर्थ – गाँव से है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 15 अप्रैल तक

छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई है। पात्र विद्यार्थी https://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ पर आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 21 अप्रैल है। छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। पात्रता अनुसार अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आय सीमा 2.50 लाख रुपए एवं ओबीसी के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित है।

NHSRCL में 141 पदों पर भर्ती 15 अप्रैल तक करें आवेदन

नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने 141 पदों पर भर्ती की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल 2025 तक nhsrcl.in पर आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है। आयु सीमा और वेतनमान NHSRCL नॉर्म्स के अनुसार होगा। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज़ सत्यापन शामिल हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और हार्डकॉपी दिए गए पते पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए NHSRCL की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते है।

CSIR-CRRI में 209 पदों पर भर्ती, 12वीं पास के लिए मौका

सीएसआईआर-सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CSIR-CRRI) ने 209 पदों पर भर्ती की जा रही है। 12वीं पास और कंप्यूटर टाइपिंग में दक्ष उम्मीदवार 21 अप्रैल 2025 तक crridom.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है, आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। वेतन 19,900 से 81,100 रुपए तक होगा। चयन लिखित परीक्षा और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क 500 रुपए है, जबकि SC/ST/PWD/महिला/एक्स-सर्विसमैन के लिए निःशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते है।

मोबाइल मेडिकल यूनिट के लिए भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू 24 अप्रैल

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट (MMU) संचालन हेतु अस्थायी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के तहत यह भर्ती एमबीबीएस चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स व लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। वॉक-इन-इंटरव्यू 24 अप्रैल को होगा। अधिक जानकारी जिले की वेबसाइट https://manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in/ पर उपलब्ध है। चयन शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

पीपीटी, पीएमसीए प्रवेश परीक्षा एक मई को

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से प्री- पालीटेक्निक टेस्ट और प्री मास्टर आफ कंप्यूटर एप्लीकेशन परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी व्यापमं की वेबसाइट www.vyapamcg.cgstate.gov. in पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम दिन 11 अप्रैल शाम पांच बजे तक है। परीक्षा एक मई को अलग-अलग दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली में सुबह नौ बजे से पीपीटी की परीक्षा होगी। वहीं दूसरी पाली में दोपहर दो बजे से प्रीएमसीए की परीक्षा होगी। इन परीक्षाओं के प्रवेश पत्र 22 अप्रैल को जारी कर दिए जाएंगे।

HPCL में जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती, 30 तक आवेदन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के 63 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल और अग्नि एवं सुरक्षा क्षेत्रों में भर्ती होगी। उम्मीदवारों के पास संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। वेतन 30,000 से 1,20,000 रुपए तक निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), ग्रुप डिस्कशन (GD), स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू (PI) और मेडिकल परीक्षा शामिल हैं। इच्छुक अभ्यर्थी hindustanpetroleum.com पर 30 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

रोजगार और नियोजन का एप लॉन्च

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट

https://dprcg.gov.in/

पर ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ अब एप पर भी उपलब्ध है। जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़

निरीक्षक तरुणा को बिलासा सम्मान डिप्टी सीएम ने किया सम्मानित

बिलासपुर में आयोजित बिलासा महोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका एवं रेलवे सुरक्षा बल की निरीक्षक तरुणा साहू को बिलासा सम्मान दिया है। वे वर्तमान में रेल सुरक्षा बल की बतौर थाना प्रभारी राजनांदगांव में पदस्थ हैं। उनकी लोककला के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार में दिए गए अभूतपूर्व योगदान के लिए बिलासा सम्मान से सम्मानित किया गया।

कुदरगढ़ महोत्सवः आस्था, परंपरा और विकास का संगम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सूरजपुर जिले में आयोजित कुदरगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में कहा कि यह महोत्सव आस्था, भक्ति और परंपरा का अनूठा संगम है। कुदरगढ़ धाम को केन्द्र सरकार की 'प्रसाद योजना' में शामिल किया गया है, जिससे विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने रोपवे निर्माण, प्रशासनिक भवन, सामुदायिक भवन, सीढ़ियाँ, पेयजल और चिकित्सालय निर्माण की घोषणाएं कीं। 105 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 43 कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया। भोरमदेव मंदिर हेतु 148 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।

दंतेवाड़ा के गीदम में मेडिकल कॉलेज निर्माण को मिली स्वीकृति

दंतेवाड़ा जिले के गीदम में 299.85 करोड़ रुपये की लागत से नए शासकीय मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना को सीजीएमएससी (छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन) के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यह मेडिकल कॉलेज बस्तर अंचल के स्वास्थ्य तंत्र को सशक्त बनाएगा और क्षेत्र के लोगों को अपने ही जिले में उच्च चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

खनिज राजस्व में ऐतिहासिक सफलता, 14,195 करोड़ का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14,195 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त किया है, जो 2023-24 की तुलना में 11% अधिक है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि पारदर्शी शासन, ई-नीलामी प्रणाली और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। दंतेवाड़ा ने सर्वाधिक 6,580 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि कोरबा, रायगढ़, बालोद, सरगुजा, बलौदाबाजार, कांकेर और सूरजपुर ने भी उल्लेखनीय भागीदारी की। राज्य में 28 प्रकार के खनिजों की पुष्टि हुई है। ई-नीलामी से रॉयल्टी के साथ प्रीमियम राजस्व भी बढ़ा है।

नए दायित्व, नई ऊर्जा: निगम-मंडलों को मिले नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विभिन्न निगमों, मंडलों, बोर्डों और आयोगों में अध्यक्ष पदों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में कुल 36 नेताओं के नाम शामिल हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 32 पुरुष हैं.

प्रमुख पद व जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं

1. भूपेश सवन्नी - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण
2. मोना सेन - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड
3. लोकेश कवाड़िया - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निशक्तजन वित्त एवं विकास निगम
4. शालिनी राजपूत - अध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड
5. वर्णिका शर्मा - अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण आयोग
6. राकेश पांडेय - अध्यक्ष, खादी तथा ग्रामउद्योग बोर्ड
7. शंभुनाथ चक्रवर्ती - अध्यक्ष, राज्य माटीकला बोर्ड
8. सौरभ सिंह - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम
9. अमरजीत सिंह छाबड़ा - अध्यक्ष, राज्य अल्पसंख्यक आयोग
10. सुरेन्द्र कुमार बेसरा - अध्यक्ष, अंतव्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम
11. जितेन्द्र कुमार साहू - अध्यक्ष, राज्य तेलघानी विकास बोर्ड
12. प्रफुल्ल विश्वकर्मा - अध्यक्ष, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड
13. प्रहलाद रजक - अध्यक्ष, रजककार विकास बोर्ड
14. ध्रुव कुमार मिर्धा - अध्यक्ष, राज्य चर्म शिल्पकार बोर्ड
15. शशांक शर्मा - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद
16. भरत लाल मटियारा - अध्यक्ष, मछुआ कल्याण बोर्ड
17. राजा पांडेय - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम
18. राजीव अग्रवाल - अध्यक्ष, स्टेट इंडस्ट्रीयल डव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19. नीलू शर्मा - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल
20. सुरेश कुमार चंद्रवंशी - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद
21. चंद्रहास चंद्राकर - अध्यक्ष, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम
22. संदीप शर्मा - अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग
23. चंदूलाल साहू - अध्यक्ष, राज्य भंडार गृह निगम
24. अनुराग सिंहदेव - अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
25. केदार नाथ गुप्ता - अध्यक्ष, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर
26. संजय श्रीवास्तव - अध्यक्ष, स्टेट सिविल स्पलाइज कॉर्पोरेशन (नागरिक आपूर्ति)
27. नंद कुमार साहू - अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर
28. रामप्रताप सिंह - अध्यक्ष, भवन एवं अन्य सनिर्माणकर्मकार कल्याण मंडल
29. योगेश दत्त मिश्रा - अध्यक्ष, श्रम कल्याण मंडल
30. श्रीनिवास राव मद्दी - अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग
31. राम सेवक पैंकरा - अध्यक्ष, राज्य वन विकास निगम
32. दीपक महस्के - अध्यक्ष, मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
33. विकास मरकाम - अध्यक्ष, आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधी पादप बोर्ड
34. गौरीशंकर श्रीवास - उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड
35. चंद्रकांति वर्मा - उपाध्यक्ष, राज्य समाज कल्याण बोर्ड
36. लखन लाल धीवर - उपाध्यक्ष, मछुआ कल्याण बोर्ड

राष्ट्रीय

रामेश्वरम में पीएम श्री मोदी ने देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज का उद्घा टन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज (पंबन ब्रिज) का उद्घा टन किया। 550 करोड़ रु. की लागत से बने इस ब्रिज की लंबाई 2.08 किमी है। नए पंबन ब्रिज की लिफ्ट को खुलने में 5 मिनट 30 सेकंड लगते हैं जबकि पुराने ब्रिज की स्विंग को खुलने में 35-40 मिनट तक लगते थे। यह तकनीक अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन के टॉवर ब्रिज और डेनमार्क स्वीडन के ओरेसेंड ब्रिज जैसी विश्व प्रसिद्ध संरचनाओं में इस्तेमाल की जाती है। पीएम मोदी ने इस ब्रिज से गुजरने वाली रामेश्वरम से चेन्नई के तांबरम तक की नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। ब्रिज चालू होने से रामेश्वरम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी।

सीबीएसईः 10वीं-12वीं का सिलेबस बदला, कौशल विकास के मिलेंगे मौके

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं के सिलेबस में बड़े बड़े बदलाव किए हैं। इससे पढ़ाई के तरीके आसान होंगे और छात्र-छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे। नए सिलेबस में 10वीं के छात्र-छात्राओं के लिए एक स्किल बेस्ड विषय अनिवार्य कर दिया गया है। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को नया पाठ्यक्रम लागू करने के निर्देश दिए हैं।

एन चंद्रशेखर आईएमएफ की सलाहकार परिषद में

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को 'उद्यमिता एवं विकास' पर आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। चंद्रा भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड के सदस्य भी है।

देश का सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन स्पेस थिएटर

देश का सबसे बड़ी एलईडी वाला 'इमर्सिव स्क्रीन स्पेस थिएटर' को बेंगलूरू के वंडरला एम्यूजमेंट पार्क में लान्च किया गया। यह थिएटर एक 8 मंजिला डोम के अंदर बना है, जिसकी ऊंचाई 23 मीटर है। इसमें दर्शकों को स्पेस यात्रा का अनुभव मिलेगा।

करगिल युद्ध के विमान में बैठ सकेंगे दर्शक

देश की सैन्य विरासत को बताने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए कारगिल युद्ध में लड़ चुके विमान व हेलीकॉप्टर शौर्य वाटिका में लाए जाए। यहां आने वाले टीयू-148 विमान और एसके 43 बी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ सकेंगे। उन्हें इनकी खासियत, ऑपरेशन और युद्ध में भूमिका की जानकारी दी जाएगी।

शकुंतला रेलवे का अधिग्रहण

देश में अंग्रेजों के जमाने के रेल नेटवर्क की आखिरी निशानी इतिहास बनाने जा रही है। भारतीय रेल ब्रिटिश कंपनी क्लिक-निक्सन के बनाए शकुंतला रेलवे का अधिग्रहण करने जा रही है। यह खंड अभी सेंट्रल प्रोविंसेस रेलवे कंपनी के स्वामित्व में है। महाराष्ट्र में यवतमाल से अचलपुर के बीच 1916 में बना ट्रैक 188 किमी लंबा है। तब इस रूट पर कॉटन बेल्ट के लिए मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन चलती थीं। इन्हीं में एक शकुंतला एक्सप्रेस भी थी।

एएसआई संरक्षित स्मारकों में सबसे अधिक कमाई ताजमहल से

मुगलकालीन मकबरा ताजमहल पिछले पांच वर्षों में टिकटों की बिक्री के जरिए सबसे अधिक कमाई करने वाला एएसआई संरक्षित स्मारक रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि पिछले पांच वर्षों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को विभिन्न स्मारकों में प्रवेश टिकटों की बिक्री से कितनी राशि प्राप्त हुई है, और पिछले पांच वर्षों में प्रवेश टिकटों की बिक्री से सबसे अधिक आय प्राप्त करने वाले स्मारक कौन हैं। अपने जवाब में, शेखावत ने वित्तीय वर्ष 19-20 से लेकर वित्त वर्ष 23-24 तक के आंकड़े साझा किए जिनके अनुसार, ताजमहल ने सभी पांच वर्षों में टिकटों बिक्री के जरिए एएसआई संरक्षित स्मारकों में शीर्ष स्थान अर्जित किया हैं।

तैयब मेहता की कलाकृति 'ट्रस्ड बुल' रिकॉर्ड 61.8 करोड़ में बिकी

प्रसिद्ध चित्रकार तैयब मेहता की पेंटिंग 'ट्रस्ड बुल' मुंबई में सैफरनआर्ट की 25वीं वर्षगांठ की नीलामी में 61.80 करोड़ रुपये में बिकी। यह मेहता की अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली कृति बन गई है। साथ ही यह किसी नीलामी में बेची गई दूसरी सबसे महंगी भारतीय कलाकृति बन गई है। इसके पहले एम.एफ. हुसैन की 'ग्राम यात्रा' न्यूयॉर्क में 118 करोड़ रुपये में बिकी थी। नीलामी में अमृता शेरगिल की 'स्टिल लाइफ विद ग्रीन बॉटल एंड एपल्स' भी 24 करोड़ रुपये में बिकी। मेहता की यह पेंटिंग 1956 में बनी थी और उनके करियर की शुरुआती प्रमुख कृतियों में गिनी जाती है। इसकी अनुमानित कीमत मात्र 5 से 7 लाख रुपये थी।

आव्रजन और विदेशी विधेयक को राष्ट्रपति की मिली मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 4 अप्रैल को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, 2025 को मंजूरी दे दी है। आव्रजन और विदेशियों से संबंधित मुद्दों से जुड़ा यह विधेयक अब कानून बन गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक अब भारत में प्रवेश करने, रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीसा का उपयोग करने वाले को सात साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है

वक्फ संशोधन बिल: राष्ट्रपति की मंजूरी, अधिसूचना जारी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 5 अप्रैल की रात वक्फ संशोधन बिल, 2025 को मंजूरी दे दी। मुसलमान वक्फ (निरसन) बिल 2025 को भी राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने इनकी अधिसूचना जारी की और दोनों बिल कानून बन गए। नए कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण रोकना है। यह बिल 2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित हुआ था। दूसरी ओर, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को चुनौती दी। उनका कहना है कि यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। एनडीए सरकार ने कहा है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है

नेशनल एथलीट, इंजीनियरिंग छोड़ी, अब सेना में अफसर

हरियाणा के हिसार की रितुल दुहान (22) नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) की महिला बटालियन कैडेट कैप्टन बनेंगी। रितुल नेशनल एथलीट रही हैं। 2021 में एनडीए में लड़कियों का प्रवेश शुरू हुआ तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ सेना में जाने का फैसला किया।

अंतरराष्ट्रीय

प्रधानमंत्री इमरान खान नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। इमरान को मानवाधिकार और लोकतंत्र के प्रति उनके प्रयासों के लिए नामित किया गया है। पिछले वर्ष में दिसंबर एडवोकेसी समूह पाकिस्तान विश्व गठबंधन (पीडब्ल्यूए) के सदस्य ने 72 वर्षीय इमरान के नामांकन की घोषणा की। पीडब्ल्यूए नार्वे की राजनीतिक पार्टी, पार्टिएट सेंट्रम से भी जुड़ा है।

जेम्स वेब ने खोजी दो गैलरी से बनी 'आइंस्टीन रिंग'

ब्रम्हाण्ड अनंत रहस्यों से भरा पड़ा है। नासा और इसरो सहित दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियां ब्रह्मांड के रहस्यों सुलझाने के लिए दिन-रात लगी हुई है। नासा की जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही एक दुर्लभ ब्रह्मांडीय नजारा कैद किया है। जिसे आइंस्टीन रिंग कहा गया है। तस्वीर को गौर से देखने पर आप पाएंगे आइंस्टीन रिंग कोई अंगूठी नहीं, बल्कि हाइडस तारामंडल में मौजूद दो आकाशगंगा है, जो एक-दूसरे से बहुत दूर हैं। इस दुर्लभ तस्वीर के चमकीले केंद्र में एक आकाशगंगा है। जबकि इसके चारों और नारंगी और नीला रंग इसके पीछे मौजूद अन्य आकाशगंगा से आने वाली रोशनी है। आइंस्टीन रिंग तब बनते हैं जब किसी बहुत दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश किसी विशाल मध्यवर्ती वस्तु के चारों ओर मुड़ता है।

चीन ने भी अमेरिका पर लगाया 34 फीसदी अतिरिक्त शुल्क

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक टैरिफ के जवाब में 4 अप्रैल को चीन ने अमेरिका से होने वाले आयात पर 34 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। इससे दुनिया की नंबर एक और दो अर्थव्यवस्था के बीच व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका गहरा गई है। इससे पहले, कनाडा ने 3 अप्रैल को अमेरिका से होने वाले कुछ ऑटो आयात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया था। वहीं, यूरोपीय संघ ने भी जवाबी उपायों पर योजना बनाना शुरू कर दी है और इस बारे ईयू ने बैठक भी की। श्री ट्रंप ने चीन से आयात पर 34 फीसदी शुल्क लगाने की घोषणा की थी और चीन ने उसी समय इसका जवाब देने की बात कही थी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, बीजिंग की ओर से लगाया गया अतिरिक्त शुल्क 10 अप्रैल से प्रभावी होगा व अमेरिका से आयातित हर वस्तु पर लागू होगा।

दलाई लामा को 'गोल्ड मार्की अवार्ड' से सम्मानित

तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को शांति और सतत विकास के लिए प्रतिष्ठित 'गोल्ड मर्करी अवार्ड' से सोमवार को सम्मानित किया गया। यह विशेष पुरस्कार समारोह उनके धर्मशाला स्थित आवास पर आयोजित किया गया। यह पुरस्कार 'गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल' द्वारा प्रदान किया गया है।

एआई में बढ़ी ताकत, भारत 10वें स्थान पर

यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में महत्वपूर्ण निजी निवेश करने वाले विकासशील देशों में सिर्फ भारत और चीन हैं। भारत इसमें 10वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार-विकास (यूएनसीटीएडी) की ओर से जारी प्रौद्योगिकी व नवाचार रिपोर्ट, 2025 के मुताबिक, भारत 2024 में अग्रणी प्रौद्योगिकी तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार, किसी देश की तत्परता को मापने वाले इस वैश्विक सूचकांक में 170 देशों में 12 पायदान के सुधार के साथ यह स्थान हासिल किया है। 2022 में वह 48वें स्थान पर था।

श्रीलंका के साथ पहली बार रक्षा सहयोग पर समझौता

भारत और श्रीलंका ने दोस्ती को नया आयाम देते हुए पहली बार व्यापक समझौता किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही, दोनों देशों ने ऊर्जा, सूचना तकनीक और स्वास्थ्य समेत अन्य छह महत्वपूर्ण समझौतों पर दस्तखत के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूती दी है। पड़ोसी देश में सत्ता परिवर्तन और संकट के बाद पीएम श्री मोदी का यह पहला दौरा है।

भारतीय सहायता से श्रीलंका में दो रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका यात्रा के दौरान अनुराधापुर में भारतीय मदद से दो रेलवे परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ 91.27 मिलियन डॉलर की लागत से नवीनीकृत 128 किमी लंबी माहो-ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 14.89 मिलियन डॉलर की लागत से माहो-अनुराधापुर सेक्शन में उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इन परियोजनाओं से श्रीलंका में उत्तर-दक्षिण रेल संपर्क बेहतर होगा और माल व यात्री परिवहन अधिक कुशल बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जया श्री महाबोधि मंदिर में भी दर्शन किए।

टिकटॉक को अमेरिका में मिली 75 दिनों की मोहलत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को बेचने की समय सीमा फिर बढ़ा दी है। अब इस वीडियो शेयरिंग ऐप को बिना बिके अमेरिका में बने रहने के लिए और 75 दिनों की मोहलत मिल गई है। दरअसल अमेरिका में बड़ी संख्या में टिकटॉक के यूजर इस पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हैं। ट्रंप ने कहा कि वह टिकटॉक के संचालन को अमेरिका में 75 दिन और जारी रखने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, ताकि उनके प्रशासन को इस सोशल मीडिया मंच को अमेरिकी स्वामित्व में लाने के लिए समझौता करने के वास्ते और समय मिल सके।

यूक्रेन, रूस आंशिक युद्धविराम पर सहमत 175 कैदियों की अदला-बदली

यूक्रेनी राष्ट्रपति श्री वोलोदिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ आंशिक युद्धविराम पर सहमति जताई है। ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों की सुरक्षा पर केंद्रित सीमित युद्धविराम ऐसे समय में आया है जब दोनों पक्ष सऊदी अरब में तकनीकी वार्ता की तैयारी कर रहे हैं जिसका उद्देश्य समझौते का विस्तार करना है, जिसमें संभावित काला सागर युद्धविराम भी शामिल है। इस बीच, रूस और यूक्रेन ने युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़े आदान-प्रदान में से 175 कैदियों की अदला-बदली की गई है। रूस ने सद्भावना के तौर पर 22 गंभीर रूप से घायल यूक्रेनी बंदियों को भी रिहा किया।

खेल / कला

दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित फिल्मकार मनोज कुमार का निधन

अभिनेता व निर्देशक मनोज कुमार का 4 अप्रैल को मुंबई में निधन हो गया। वे 87 साल के थे। मनोज कुमार लंबे समय से लिवर सिरोसिस बीमारी से जूझ रहे थे। मनोज कुमार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के कहने पर 1967 में 'उपकार' फिल्म बनाई। इसके गीत 'मेरे देश की धरती सोना उगले...' को अपार लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 'भारत कुमार' कहा जाने लगा। फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 1992 में पद्मश्री और 2016 में सबसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के अवॉर्ड से नवाजा गया। उन्होंने 7 फिल्म फेयर अवॉर्ड भी जीते। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के एबटाबाद (अब पाकिस्तान में) में पंजाबी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बंटवारे के बाद परिवार दिल्ली आया। फिल्मों के बाद राजनीति में भी आए। 2004 में भाजपा के सदस्य बने।

सबालेंका ने पहली बार जीता मियामी ओपन खिताब

आर्यना सबालेंका ने फाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर मियामी ओपन का अपना पहला खिताब जीता। पिछले साल के यूएस ओपन फाइनल के रीमैच में, शुरुआती सेट में तीन बार अपनी शानदार सर्विस टूटने के बावजूद, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी सबालेंका ने शांतचित्त होकर 5-6 पर महत्वपूर्ण ब्रेक हासिल किया, जिसने उन्हें चौथी रैंकिंग वाली पेगुला पर 1 घंटे 28 मिनट में 7-5, 6-2 से जीत दिलाई और अपना पहला मियामी ओपन मास्टर्स 1000 खिताब जीता। यह सबालेंका के लिए एक बड़ी जीत थी।

अर्जुन भाटी को मिलेगा यूथ अवॉर्ड

गोल्फर अर्जुन भाटी को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तीन बार के जूनियर गोल्फ विश्व चैम्पियन रह चुके अर्जुन कोरोना के दौर में परेशान मरीजों को देख व्यथित थे। उन्होंने 102 ट्रॉफियां बेचीं, इनसे मिले 4.30 लाख रु. पीएम केयर्स फंड में दान कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके इस प्रयास को सराहते हुए सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की थी।

सिफत कौर समरा ने दिलाया भारत को पहला स्वर्ण पदक

भारतीय निशानेबाज सिफत कौर समरा ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3-पोजिशन स्पर्धा में पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल कर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। 23 वर्षीय भारतीय महिला निशानेबाज ने 458.6 के स्कोर के साथ अपना पहला विश्व कप स्वर्ण पदक जीता, जबकि जर्मनी की अनीता मैंगोल्ड ने 455.3 के स्कोर के साथ रजत और कजाकिस्तान की एरिना अल्तुखोवा ने 445.9 के स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। सिफत कौर समरा ने 590 अंक के साथ क्वालीफिकेशन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

टेनिस का समर कैंप 21 अप्रैल से खेल विभाग देगा निःशुल्क ट्रेनिंग

खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर की ओर से टेनिस के समर कैंप का आयोजन कराया जा रहा है। 21 अप्रैल से 13 जून तक राजधानी के लाभांडी स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खिलाड़ी निःशुल्क ट्रेनिंग ले सकेंगे। खिलाड़ियों को प्लेइंग किट भी विभाग उपलब्ध कराएगा। इसमें केवल 8 से 21 साल तक के खिलाड़ियों को - मौका मिलेगा। इसके लिए खिलाड़ी खेल विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन और संचालनालय या जिला कार्यालय में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। खेल विभाग हर साल 10 से अधिक खेलों का समर - कैंप आयोजित करता है। जिससे लगातार खिलाड़ी नेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

विश्व कप-2025 के फाइनल में पहुंचने वाले भारत के हितेश पहले मुक्केबाज बने

भारत के हितेश, ब्राजील में आज होने वाले मुक्केबाजी विश्व कप-2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले मुक्केबाज बन गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में 70 किलोग्राम भार वर्ग में फ्रांस के माकन ट्राओर को हराया। इस बीच, अन्य भारतीय मुक्केबाजों जदुमनी सिंह, सचिन सिवाच और विशाल ने अपने-अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीते।

हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की

भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 15 साल से अधिक लंबे शानदार करियर के बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है। 320 अंतरराष्ट्रीय मैचों और 158 गोल के साथ, वंदना भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। 32 वर्षीय वंदना ने 2009 में सीनियर टीम में प्रवेश किया था और वह खेल में कई निर्णायक क्षणों का अहम हिस्सा रही, जिसमें 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत का ऐतिहासिक चौथा स्थान हासिल करना भी शामिल है। इसमें वे हैट्रिक बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला बनीं। खेल में अपार योगदान के लिए, वंदना को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार, और पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2014 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाडी के लिए हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, 2021 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हॉकी इंडिया अध्यक्ष पुरस्कार और 2021 तथा 2022 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।

फॉर्मूला-1ः वर्सटापेन ने लगातार चौथी बार जीती जापान ग्रांप्री, करियर की 64 वीं जीत

रेड बुल के फॉर्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्सटापेन ने 2025 सीजन की तीसरी जापान ग्रांप्री जीतकर सीजन में पहली जीत दर्ज की। यह उनके करियर की कुल 64वीं और लगातार चौथी जापान ग्रांप्री जीत रही। इस जीत के साथ उन्होंने मैक्लेरन-मर्सीडीज टीम की सीजन में दो जीत की लय को तोड़ा।

वर्ल्ड बॉक्सिंग कपः पहली बार खेल रहे भारत ने जीते छह मेडल

ब्राजील में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत ने पहली बार हिस्सा लेते हुए शानदार प्रदर्शन किया और छह पदक अपने नाम किए। हितेश ने 70 किग्रा वर्ग में एकमात्र गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में उनके प्रतिद्वंद्वी चोट के कारण नहीं उतर सके, जिसके चलते हितेश को जीत मिली।

कर्नल राजपाल सिंह दिल्ली जूडो परिषद के अध्यक्ष चुने गए

स्वतंत्र क्लब के कर्नल राजपाल सिंह को दिल्ली जूडो परिषद का अध्यक्ष और भारतीय जूडो अकादमी के नवीन चौहान को महासचिव चुना गया है। दिल्ली जूडो परिषद के चुनाव राजधानी में हुए। खेल संस्था ने एक बयान में कहा, 'हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि स्वतंत्र क्लब के कर्नल राजपाल सिंह को दिल्ली जूडो परिषद का अध्यक्ष चुना गया है।

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास), जिला गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 07751 220658 Email-actwd.gpm@gmail.com

क./3906A/EOI/ कोचिंग / 2025-26 गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 27/03/2025

जिला गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग क्लासेस हेतु पंजीकृत कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2025-26)

जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं के लिए सी.जी.पी. एस.सी. एवं सी.जी. व्यापमं के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाममूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं में "रूचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Intrestt) का ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित है।

रूचि रखने वाली कोचिंग संस्था, "रूचि की अभिव्यक्ति" का नमूना शर्त एवं कार्य क्षेत्र की जानकारी जिले की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते है। रूचि की अभिव्यक्ति के साथ आवेदन शुल्क रू. 5000/- का डी.डी. तथा रू. 50000/- का EMD कलेक्टर जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के पक्ष में देय हो संलग्न कर जमा करना होगा।

01. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने की प्रारंभ तिथि -28.03.2025
02. निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि -15.04.2025
03. निर्धारित समय तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना पात्र संस्थाओं का तकनीकि मूल्यांकन -17.04.2025
04. समिति के समक्ष संस्थाओं का प्रस्तुतिकरण -21.04.2025
05. वित्तीय मूल्यांकन -23.04.2025

रूचि रखने वाले कोचिंग संस्थान / उनके अधिकृत प्रतिनिधि तकनीकी निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते है।

(जिला स्तरीय समिति के द्वारा अनुमोदित)

जिला अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग एवं छ.ग. व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2025-26)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक----------दिनांक-------------के संदर्भ में)

भाग-एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम आर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्रं अंकित करें
1	(i) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/ कम्पनीज एक्ट / इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) / भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। (ii) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। (iii) पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2	संस्था का पेन (PAN) छत्तीसगढ़ राज्य का जी.एस.टी. (GST) पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिए तथा इसका स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे। कार्य प्राप्त होने पर छ.ग. के GSTN से ही बिलिंग किया जाना होगा।	
3	(1) कोचिंग संस्था/फर्म का कोचिंग कार्यों का वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का औसत टर्न ओव्हर 50.00 लाख से कम नही होना चाहिए। टर्न ओव्हर में संस्था द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों / व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय / संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप उक्त 03 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। वर्ष 2023-24 का ऑडिट पूर्ण न होने की स्थिति में ऑडिटर से टर्न ओव्हर प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्षो के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यों से संबंधित टर्न ओवर का पृथक-पृथक उल्लेख होगा। (ii) माह जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025 का जमा किये गये जी.एस.टी. का विवरण (सत्यापित अभिलेख) (iii) उक्त 03 वर्षों की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति।	
4	अमानत राशि के रूप में प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित राशि रू. 0.50 लाख का एफ.डी. आर. कलेक्टर जिला गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही के पक्ष में हो, संलग्न करें।	
5	आवेदन शुल्क हेतु 5000/- जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।	
6	संघ/संयुक्त उद्यम वाले कोचिंग संस्था मान्य नहीं होगे।	
7	निविदा प्रकाशन दिनांक की स्थिति में भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग संस्था/फर्म को काली सूची में न डाला हो और न ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हो। इस संबंध में संलग्न EC-07 के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	
8	फैकल्टी का विवरण।	
9	विगत 03 वर्षों का परीक्षा परिणाम। संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्रं. अंकित करें संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर पद मुद्रा सहित	

अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के मूल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी (EC-1 से EC-7 तक) प्रथम लिफाफा हेतु

परिशिष्ट- EC-1

कोचिंग संस्था का पंजीयन

परिशिष्ट - EC-2

जीवित PAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट - EC-3

छ.ग. राज्य का जीवित GSTIN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट - EC-4

जीवित RETURN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट - EC-5

कोचिंग संस्था / फर्म के टर्न ओव्हर संबंधी (CA) का प्रमाण पत्र एवं ऑडिट रिपोर्ट।

प्रमाणित किया जाता है कि कोचिंग संस्था/फर्म का नाम तथा पता----------------------- का आडिट रिपोर्ट का मैंने पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, जिसके आधार पर छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग, द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग में संबंधित टर्न ओव्हर निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	टर्न, ओव्हर (राशि लाख में)
1	2021-22	
2	2022-23	
3	2023-24	

कोचिंग संस्था/फर्म के
संचालक का हस्ताक्षर एवं सील

Signature of Statutory Auditor
With seal
UDIN NO.

परिशिष्ट - EC-6

पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषणा पत्र

(50 रू. के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही द्वारा जारी "रूचि की अभिव्यक्ति" क्रमांक-------------------दिनांक----------------------- के संबंध में हमारी फर्म/संस्था-----------------------पता------------------ की ओर से मैं------------------- आत्मज--------------- पता----------------- उम्र-------------------- आधार क्रमाक--------------------- फर्म में हैसियत (पद)----------------- से अधिकृत होकर नाम-------------- आत्मज------------------ पूरा पता---------------आधार क्रमाक ----------को फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से इस प्रकाशित "रूचि की अभिव्यक्ति" के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डिस्कशन / बैठक में शामिल होने/निगोशियेशन/अनुबंध करने तथा इस प्रोजेक्ट के संचालन करने हेतु अभिलेखो पर हस्ताक्षर करने तथा अन्य किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

क्रमशः

यह भी प्रमाणित करता हूँ कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के न्यायालयीन या अपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन किया जाता है जो इसके लिए हमारे फर्म पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेंगी।

फर्म के मालिक / साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील
(जो कंपनी / फर्म के बॉयलॉज अनुसार
Power of Attorney जारी करने हेतु सक्षम)

गवाह के हस्ताक्षर

परिशिष्ट - EC-7
कोचिंग फर्म / संस्था / कम्पनी को काली सूची / खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण पत्र (Self Declaration)
(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

हमारी संस्था/फर्म/ कम्पनी----------------------पूरा पता------------------ की ओर से मैं------------------- (संचालक का नाम) आज दिनांक--------------- ------------ की स्थिति में घोषणा करता हूँ कि किसी भी शासन विभाग स्थानीय प्रशासन / एजेंसी छत्तीसगढ़/भारत देश/भारत देश से बाहर हमारे फर्म को किसी भी कारण से कार्य करने से प्रतिबंधित / ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही हमारी संस्था पर किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही की गई है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी स्तर पर गलत, मिथ्यापूर्ण जानकारी पाए जाने पर विभाग द्वारा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर दिये जाने पर मेरी जिम्मेदारी होगी। इस पर मैं सहमति प्रदान करता हूँ।

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील

गवाह के हस्ताक्षर

तकनीकी मुल्याकंन हेतु संलग्न किय जाने वाले अभिलेखों का जानकारी (EC-8 से EC-10 तक) भाग-दो (द्वितीय लिफाफा)
परिशिष्ट - EC-8
संस्था का सामान्य परिचय (पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) छ.ग. स्थित कोचिंग संस्था का नाम :-------------------------
   (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :-------------------------
   (स) दूरभाष (कोड सहित) :-------------------------
2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है, विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक :-------------------------
3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनी के अंतर्गत संचालित है तो :- :-------------------------
   (अ) समिति/कम्पनी का नाम :-------------------------
   (ब) समिति/कम्पनी के कार्यालय का पूर्ण पता :-------------------------
   (स) दूरभाष (कोड सहित) :-------------------------
4. (अ) समिति/कम्पनी किसी एक्ट के तहत पंजीकृत है (पूर्ण विवरण देंवे) :-------------------------
   (ब) समिति/कम्पनी का एक्ट के अंतर्गत जीवित पंजीयन क्रमांक :-------------------------
   (स) समिति/कम्पनी का वैद्यता दिनांक :-------------------------
   (द) समिति/कम्पनी के गवर्निंग बॉडी के अंतिम बैठक का दिनांक :-------------------------
   (इ) समिति/कम्पनी के अंतिम बैठक की आम सभा दिनांक :-------------------------
   (फ) समिति/कम्पनी के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता मोबाईल नंबर सहित :-------------------------
5. अशासकीय शिक्षण संस्था को किस प्रभाग की मान्यता प्राप्तः----------------------- है, तथा किस अवधि तक के लिए वैध है के बारे में विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :-------------------------
   (अ) इन्चार्ज का नाम :-------------------------
   (ब) शैक्षणिक अर्हता :-------------------------
   (स) अनुभव :-------------------------

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

पाराशष्ट - EC-9
कोचिंग संस्था के मुल्यांकन हेतु

क्र	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें
1	कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत कार्य योजना की रणनीति।	
2	कोचिंग संस्था द्वारा प्रकाशित किताबों / स्टडी मटेरियल की एक-एक प्रति। (सूची स्कैन कर संलग्न करे एवं किताबों / स्टडी मटेरियल की मूल प्रति कार्यालय में जमा करें)	
3	कोचिंग संस्था द्वारा दिए जाने वाले नोट्स तथा टेस्ट पेपर (प्रिंटेड) की एक-एक प्रति। (सूची स्कैन कर संलग्न करे एवं मूल प्रति कार्यालय में जमा करें)	
4	कोचिंग संस्था में राष्ट्रीय एवं राज्य द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में विगत 3 वर्षों में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची।	

(क)

क्र.	विद्यार्थी का नाम	परीक्षा का नाम	चयनित पद	मोबाईल नंबर	चयन वर्ष

(ख)

क्र	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का प्रतिशत

नोटः- वर्षवार पृथक-पृथक कॉलम में जानकारी देवे।

क्र	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें
5	कोचिंग संस्था के फैकल्टी का विवरण जिन्हे परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जाएगा। (EOI में दिये गये फैकल्टी की अनुपस्थिति /छोड़ने की स्थिति में BOI में उल्लेखित योग्यता अनुसार Subtitute फैकल्टी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में Subtitute फैकल्टी उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिमाह प्रति Subtitute फैकल्टी के मान से रूपये 10,000/- पैनालटी कटौती की जायेगी। फैकल्टी का Subtitution संबंधित विषय के लिए एक बार ही लागू होगी। एक बार से अधिक की Subtitution स्थिति में प्रति फैकल्टी रूपये 25,000/- पैनालटी कटौती की जायेगी) दस्तावेज आधारित मूल्यांकन परिभाषित चिन्हित मापदंड के आधार पर दस्तावेज आधारित मूल्यांकन किया जा सकेगा। विवरण (चेक लिस्ट सहित)	

क्र.	विवरण	हाँ/नहीं
1	संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के आधार पर (न्यूनतम 03 वर्ष अनिवार्य)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य
2	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों में दी गई कोचिंग से छ.ग. राज्य लोक सेवा परीक्षा एवं व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के विवरण के आधार पर (विगत 03 वर्ष में कुल दर्ज छात्रों का न्यूनतम चयन 02 प्रतिशत)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य
3	शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण के अनुसार शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता स्नातक एवं PSC कोचिंग में अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव • शिक्षकों की संख्या न्यूनतम 07 (सामान्य अध्ययन हेतु 04 शिक्षक, भाषा हिन्दी व अंग्रेजी हेतु पृथक-पृथक शिक्षक, सी सेट हेतु 01 शिक्षक)	शिक्षकों की न्यूनतम योग्यताएवं संख्या अनिवार्य
4	संस्था / फर्म का टर्न ओव्हर के आधार पर (न्यूनतम -50.00 लाख रु.)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता (स्नातक/स्नाकोत्तर/अन्य)	अनुभव	अध्यापन का विषय

एक या एक से अधिक बार स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर नंबर केवल एक ही बार जोड़ा जायेगा।

नोटः कोचिंग देने वाले सभी शिक्षकों का बायोडाटा तथा अंक सूची/डिग्री की कोचिंग संस्था प्रमुख तथा संबंधित शिक्षकों द्वारा संयुक्त सत्यापित (छायाप्रति) संलग्न किया जाये।

तद्संबंध में परिशिष्ट EC-10 प्रारूप में नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

परिशिष्ट EC-10
संस्था संचालक की घोषणा
(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र के भाग-एक एवं भाग-दो में दर्शायी गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण/अभिलेख मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि अभिलेख / दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेंगी।

2. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये स्टडी मटेरियल गुणवत्तापूर्ण एवं अद्यतन है तथा यह छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित है।

3. मैं छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी

क्रमशः

हेतु प्रशिक्षण (कोचिंग) वर्ष 2025 एवं "रुचि की अभिव्यक्ति में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभाँति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन / प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयवधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक :----------
स्थान :-----------

हस्ताक्षर / मोहर सहित

टीप :- प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किये गए समस्त अभिलेखों को सत्यापित करते हुए संस्था संचालक / संस्था प्रमुख का सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।

जिला अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग एवं छ.ग. व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी हेत प्रशिक्षण प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन
"रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2025-26)

परिशिष्ट - FB-1
तृतीय लिफाफा (वित्तीय लिफाफा)
(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक------- दिनांक--------- के संदर्भ में)

क्र	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित					
		दर प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ईकाईलागत		दर प्रति 50 विद्यार्थियों लागत तक प्रति वर्ष ईकाई		दर प्रति 100 विद्यार्थियों तक प्रति वर्ष ईकाई लागत	
		अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
1	जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर छात्र-छात्राओं हेतु जिला खनिज न्यास मद से निशुल्क छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग एवं छ.ग. व्यापम द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण (कोचिंग) की कंडिका 5 में दर्शाये गये दायित्वों सहित						

उपरोक्त दर समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

नोट :- राशि का भुगतान अनुबंध में निहित शर्तों के अनुसार किया जावेगा। जिसमें 75 प्रतिशत राशि 03 किस्तों में किया जावेंगा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान परीक्षा परिणाम पर आधारित होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 15 प्रतिशत राशि देय होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 10 प्रतिशत राशि देय होगी।
- उपरोक्तानुसार परिणाम प्राप्त होने की स्थिति में अंतिम किश्त की सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि देय नहीं (कटौती योग्य) होगी।

विवाद की स्थिति में कलेक्टर जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही सक्षम प्राधिकारी होंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पद मुद्रा सहित)

रूचि की अभिव्यक्ति

नियम एवं शर्तेः-

(1) कोचिंग संस्था का चयन की विधिः-

(i) राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु विभाग द्वारा "रूचि की अभिव्यक्ति" के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कर कोचिंग संस्थाओं का इम्पैनलमेंट निम्न समिति के द्वारा किया जायेगा -

1. अपर कलेक्टर जिला गौरेला पेण्ड्रा मरवाही -अध्यक्ष
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिला गौरेला-पेण्ड्रा मरवाही -सदस्य
3. जिला कोषालय अधिकारी जिला गौरेला पेण्ड्रामरवाही -सदस्य
4. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास -सदस्य/सचिव
5. श्री राहुल गौतम, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी -सदस्य

(ii) "रूचि की अभिव्यक्ति" हेतु फार्म एवं डाक्यूमेंट कलेक्टर जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा तैयार किया जायेग, इसमें निजी कोचिंग संस्थानों के लिए निम्नांकित मानकों का अवश्य उल्लेख होगा -

- कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/ कम्पनीज एक्ट 1956/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) / भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था का पेन (PAN) एवं जीएसटी (GST) नम्बर अनिवार्यतः होना चाहिए।
- विगत 03 वर्षों की आडिट रिपोर्ट।
- विगत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम एवं सफलता का प्रतिशत।
- फेकल्टी का विवरण।

इसके अतिरिक्त मानको का निर्धारण कलेक्टर जिला गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही द्वारा "रूचि की अभिव्यक्ति" में किया जा सकेगा।

(iii) जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति के द्वारा प्राप्त किए गए निविदा में आवश्यक अभिलेख का परीक्षण किया जावेगा। समिति द्वारा प्राप्त निविदा के शर्तों के EOI द्वारा विस्तृत मापदंड अनुरूप निविदाकर्ता पूर्ण किया है अथवा नहीं, उसका परीक्षण किया जावेगा। निविदा में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने की दशा में इसे निरस्त किया जावेगा।

(iv) चयन की प्रक्रिया 03 स्तर पर होगी -

दस्तावेज आधारित मूल्यांकनः- परिभाषित चिन्हित मापदंड के आधार पर दस्तावेज आधारित मूल्यांकन किया जा सकेगा। विवरण (चेक लिस्ट सहित)

क्र	विवरण	हॉ/नहीं
1	संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के आधार पर (न्यूनतम 03 वर्ष अनिवार्य)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य
2	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों में दी गई कोचिंग से छ.ग. राज्य लोक सेवा परीक्षा एवं व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के विवरण के आधार पर (विगत 03 वर्ष में कुल दर्ज छात्रों का न्यूनतम चयन 02 प्रतिशत)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य
3	3 शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण के अनुसार • शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता स्नातक एवं PSC कोचिंग में अध्यापन का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव • शिक्षकों की संख्या न्यूनतम-07 (सामान्य अध्ययन हेतु 04 शिक्षक, भाषा हिन्दी व अंग्रेजी हेतु पृथक-पृथक शिक्षक, सी सेट हेतु 01 शिक्षक)	शिक्षको की न्यूनतम योग्यता एवं संख्या अनिवार्य
4	कोचिंग संस्था/फर्म का टर्न ओव्हर के अधिार पर (न्यूनतम 50.00 लाख रु.)	न्यूनतम अहर्ता अनिवार्य

- प्रस्तुतीकरण (Presentation) निविदाकर्ता के निविदा में प्रस्तुतीकरण (Presentation) का अंक 100 निर्धारित होगा। समिति द्वारा दस्तावेज आधारित मूल्यांकन में सफल होने के पश्चात् प्रस्तुतीकरण के लिए EOI के चयनित निविदाकर्ता को आमंत्रित किया जावेगा। प्रत्येक प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य निविदाकर्ता को अपने प्रस्ताव में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर समिति के समक्ष प्रदर्शित करना होगा। समिति के सदस्य संबंधित के EOI में दर्शित कोचिंग कार्यक्रम के प्रभावों का अवलोकन कर सकेंगे। (चेक लिस्ट संलग्न)
- चेक लिस्ट में संलग्न बिन्दुओं के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा।
- वित्तीय मूल्यांकन - दस्तावेजों का आंकलन करने के पश्चात् तथा प्रस्तुतीकरण में प्राप्त अंको के आधार पर अहर्ता प्राप्त निविदाकर्ताओं की संख्या न्यूनतम 03 होने पर वित्तीय निविदा खोला जायेगा। (चेक लिस्ट संलग्न)

(v) समिति द्वारा निविदा के मूल्यांकन के संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम माना

क्रमशः

जावेगा। निविदाकर्ता द्वारा निविदा के संबंध में पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।
(vi) दस्तावेजों का मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर किया जावेगा।
(vii) दो या दो से अधिक आवेदकों को अंतिम मूल्यांकन में समान अंक मिलने पर न्यूनतम मूल्य अंकित करने वाले आवेदक को कार्य का आबंटन दिया जावेगा।
(viii) संयुक्त रूप से दिया गया प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।
(ix) फैचाइजी के द्वारा दिए गए आवेदन में प्राथमिक फ्रेंचाइजर द्वारा सभी दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है और अनुबंध फ्रेंचाइजर के साथ निष्पादित किया जावेगा।
(x) वित्तीय निविदा निर्धारित प्रोफार्मा में जमा किया जावेगा।
(2) **प्रशिक्षण स्थल 1.** बैच-I- स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मरवाही
2. बैच-II- विकास खण्ड पेण्ड्रा में चयनित स्थल
(3) गोपनीयता :-

EOIs के खोलने के समय से लेकर चयन की घोषणा होने तक आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार से समिति से संपर्क नहीं करेगा और न ही EOI मूल्यांकन से संबंधित पूछताछ करेगा। EOIs के मूल्यांकन तथा अनुशंसाओं के बारे में आवेदनकर्ता जिसने EOIs जमा किया है तथा उससे संबंधित किसी अन्य कार्यालयीन व्यक्ति को नहीं बताया जावेगा, जब तक चयन की घोषणा का प्रकाशन न हो।

आवेदनकर्ता अथवा संबंधित कोई अन्य व्यक्ति अनुचित तरीके से EOIs के मूल्यांकन अथवा अनुबंध के संबंध में विभाग की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो उसके EOI को निरस्त कर दिया जावेगा।

(4) कोचिंग संस्था को कार्य आवंटन :-

चयनित कोचिंग संस्थाओं को प्रशिक्षण दिनांक से 01 वर्ष हेतु इम्पैनल्ड किया जायेगा। यदि इस अवधि में संस्था का कार्य असंतोषप्रद पाया जाता है तो संस्था का इम्पैनलमैंट समाप्त किया जा सकेगा एंव कोचिंग संस्था द्वारा बीच में प्रशिक्षण बंद कर देने की स्थिति में भुगतान की गयी राशि अनुपातिक रूप से वसूल की जा सकेगी।

(5) कोचिंग संस्था का दायित्व :-

प्रवेशित अभ्यर्थियों को राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार एवं छ०ग० व्यापम हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार परिणामोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्रवेशित अभ्यर्थियों का टेस्ट सीरिज के माध्यम से मूल्यांकन करना एवं अध्यापन की गुणवत्ता से सुधार लाने हेतु सकारात्मक प्रयास करना।

कोचिंग संस्था में अभ्यर्थियों के बौद्धिक विकास हेतु समय-समय पर मार्गदर्शन / उत्साहवर्धन हेतु प्रेरणात्मक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

समय-समय पर विद्यार्थियों के प्रगति प्रतिवेदन से कार्यालय / मुख्यालय को सूचित करना।

समिति द्वारा कोचिंग कक्षा का समय-समय पर निरीक्षण एवं मुल्यांकन अधीकृत अधिकारियों द्वारा कराया जायेगा।

कोचिंग संस्थान को पी.एस.सी. एवं व्यापम के लिए स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराना होगा।

समिति के समक्ष विषयवार शिक्षकों का प्रस्तुतिकरण अनिवार्य है तथा प्रस्तुतीकरण देने वाले शिक्षक द्वारा ही अध्यापन का कार्य कराया जायेगा।

कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना शिक्षकों को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्राक्चयन परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर चयनित कोचिंग संस्था के द्वारा कराया जायेगा।

(6) राशि का भुगतान :-
1. कोचिंग संस्था को प्रस्तावित दर की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 03 किश्तों में किया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान परीक्षा परिणाम पर आधारित होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है -
a. अध्ययनरत् अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत् अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
b. अध्ययनरत् अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत् अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 20 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
c. अध्ययनरत् अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 15 प्रतिशत् अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 15 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
d. अध्ययनरत् अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत् अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 10 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।

उपरोक्तानुसार परिणाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अंतिम किश्त की सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि देय नहीं (कटौती योग्य) होगा।
2. कोचिंग संस्था को उक्त राशि का भुगतान जिला खनिज न्यास मद से प्राप्त आबंटन द्वारा किया जायेगा।
3. कोचिंग संस्था को राशि का भुगतान केन्द्र तथा राज्य शासन के नियमानुसार जीएसटी / टीडीएस/आयकर / उपकर की कटौती पश्चात् किया जाएगा।
4. विवाद की स्थिति में कलेक्टर, जिला गौरेला पेण्ड्रा-मरवाही का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।

(जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित)

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास
जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ०ग०)

आर.ओ.06/जी-252600078/4

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इन्द्रावती भवन, ब्लाक-डी (भू-तल) अटल नगर, जिला रायपुर (छ०ग०)

-2263708, 2262558 Fax - 2262558 Email Id-pmscstobe@gmail.com

क्रमांक / ऑ.ला.पो.मै.छा./183/2024-25/80 नवा रायपुर, दिनांक 1/04/2025

:: पंजीयन तिथि में वृद्धि की सूचना प्रकाशन::

वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी जो अन्य राज्य में अध्ययनरत् है ऑनलाईन पंजीयन की तिथि वृद्धि की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी जो छत्तीसगढ से बाहर (अन्य राज्य) के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक एवं आई.टी.आई आदि में अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है तथा इन संस्थाओं के प्राचार्यों / संस्था प्रमुखों एवं छात्रवृत्ति प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाइट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन / प्रस्ताव / स्वीकृति वर्ष 2024-25 हेतु निम्नानुसार तिथि में निर्धारित की जा रही है :-

क्र	प्रक्रिया	अंतिम तिथि
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन / नवीनीकरण)	दिनांक 03.04.2025 से दिनांक 15.04.2025
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 03.04.2025 से 21.04.2025
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 03.04.2025 से 21.04.2025

निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2024-25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal एवं Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

1. छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :-

क. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष।

ख. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र।

ग. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र।

घ. विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।

2. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।

3. वर्ष 2024-25 से संस्थाओं का Geo-Tagging किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थाओं द्वारा Geo-Tagging नहीं किया जावेगा, उक्त संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं की जावेगी।

4. वर्ष 2024-25 में अनु. जनजाति एवं अनु. जाति के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR (One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।

5. वर्ष 2024-25 में संस्था प्रमुख (HoI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का biometric-authentication किया जाना अनिवार्य है।

आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर, छ०ग०

आर.ओ.05/जी-252600028/5

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

क्रमांक/44/143/विज्ञापन/2021 नवा रायपुर, दिनांक : 02/04/2025

शुद्धि पत्र

शुद्धि पत्र क्रमांक 02/2025/परीक्षा/दिनांक 02/04/2025

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के अंतर्गत खनि निरीक्षक के कुल 35 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 07/2022/परीक्षा/दिनांक 01.02.2022 प्रकाशन की तिथि 02/02/2022 एवं शुद्धि-पत्र क्रमांक 07/2022/परीक्षा/दिनांक 23/02/2022 जारी कर अभ्यार्थियों से दिनांक 15/02/2022 से 16/03/2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे । खनिज साधन विभाग के पत्र दिनांक 09/03/2022 द्वारा विज्ञापन को सूचना पत्र दिनांक 11/03/2022 के माध्यतम से स्थगित किया गया था ।

(2) खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-8/2016/XII दिनांक 03.03.2025 के अनुसार विज्ञापन की कंडिका (1) की तालिका के स.क्र. 03 खनि निरीक्षक पद को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

स.क्र	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **महिलाओं** के लिए आरक्षित पद				छत्तीसगढ़ भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी **निःशक्तजनों** के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
		अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव	अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*
1	**खनि निरीक्षक**	2	1	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	6	वेतन मैट्रिक्स लेवल-7
	कैरिफारवर्ड/ बैकलॉग	10	3	16	-	-	-	-	-		-		-		29	
	कुल योग	12	4	18	1										35	

(3) विज्ञापन की कंडिका (2)(B)(iii) का (a) शैक्षणिक अर्हताएं :- "भू-विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि" का लेख है जिसके स्थान पर "भू-विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नाञतक उपाधि" पढ़ा जाए ।

(4) विज्ञापन की कंडिका (3) परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड को खनि निरीक्षक पद हेतु विलोपित किया जाता है ।

(5) उक्तानुसार अभ्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुसत करने की तिथि दिनांक 03/04/2025 मध्याान्हस: 12:00 बजे से 02/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक निर्धारित की जाती है । ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार आवेदन की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 03/05/2025 मध्यान्ह : 12:00 बजे से 05/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा । उक्ति त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार निःशुल्क होगा। ऑनलाइन आवेदन में सशुल्कं त्रुटिसुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 06/05/2025 मध्यान्हः 12:00 बजे से 08/05/2025 रात्रि 11:59 बजे तक किए जा सकेंगे । उक्त शुल्क/ त्रुटि सुधार हेतु रू. 500/- (रूपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्ति सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा ।

(6) अभ्यतर्थियों द्वारा पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन भी मान्य होंगे बशर्तें अभ्यगर्थी संशोधित अर्हता धारित करते हों । सभी अभ्य्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया है वे भी त्रुटि सुधार अवधि में अनिवार्य रूप से नवीन वांछित प्रविष्टियां करें तथा अपनी प्रविष्टियों में सुधार करें एवं अपने नवीनतम फोटो व हस्तौक्षर अपलोड करें । त्रुटि सुधार अवधि में प्रविष्टि नहीं करने पर पूर्व में प्रस्तुत आवेदन निरस्ते किए जा सकेंगे ।

(7) पूर्व में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने वाले ऐसे अभ्यिर्थी जो संशोधित अर्हता (भू-विज्ञान सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि अथवा माइनिंग इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि) धारित नहीं करते थे उन्हें उनके डेशबोर्ड पर शुल्क् वापसी हेतु लिंक प्राप्त होगा जिसके माध्यफम से वे अपने द्वारा जमा किया गया शुल्क् वापस प्राप्त कर सकेंगे ।

(8) विज्ञापन क्रमांक 07/2022/परीक्षा/दिनांक 01.02.2022 की शेष समस्त शर्तें/कण्डिकाएं यथावत रहेंगी ।

सही/-
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर अटल नगर

आर.ओ.07/जी-252600051/5

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)
दूरभाष (का.) 0771-2439564, फैक्सः 0771-2331525, 2446556
वेबसाईटः www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 84/09/परीक्षा/2024 रायपुर, दिनांक 31034/2025

निरीक्षक वाष्पयंत्र (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) परीक्षा-2024 के संबंध में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण सूचना

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2024/ परीक्षा दिनांक 17.10.2024 के तहत् निरीक्षक वाष्पयंत्र (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) परीक्षा-2024 की लिखित परीक्षा दिनांक 04 मई 2025 (रविवार) को जिला-रायपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी है। 02/निरीक्षक वाष्पयंत्र (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) परीक्षा-2024 में दिव्यांगजनों को सह-लेखक की सुविधा दिये जाने/अथवा रखे जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैः-

(i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन / चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है. सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा जिला कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते है।

(ii) स्वयं के अथवा जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट-चार, पांच, छः व सात के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 प्राप्त कर, प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र 2 व प्रपत्र 3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र 4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक के सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो हीं स्थितियों में प्रपत्र 01. 02. 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नही कर सकेंगे।

(iii) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। परिशिष्ट चार से सात तक उपलब्ध प्रपत्र 1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र 4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी। विस्तृत निर्देश एवं प्रपत्र हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक 01/2024/परीक्षा दिनांक 17.10.2024 का भलीभांति अध्ययन कर लेवें। 3/ अभ्यर्थी एवं उनके सहलेखक द्वारा निरीक्षक वाष्पयंत्र (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग) परीक्षा-2024 में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी एवं सहलेखक को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर और स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। 4/परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है / अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ०ग०)

आर.ओ.07/जी-252600097/4

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास,

इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558,
www.tribal.cg.gov.in, Email-prayas.ctd@gmail.com

क्रमांक / प्रयास/160/2024-25/20 नवा रायपुर, दिनांक 01/04/2025

विषयः- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजनांतर्गत प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं (सत्र 2025-26) में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा की तिथि का प्रकाशन बाबत्।

प्रयास बालक/कन्या आवासीय विद्यालयों के सत्र 2025-26 की कक्षा 9वीं में प्राक्चयन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र विभाग की वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in/PRSMS/Student-Admission-Detail पर क्लिक करके दिनांक 03.04.2025 से दिनांक 20.04.2025 तक डाउनलोड कर सकते है।]

क्र	विवरण	तिथि	समय से	समय तक
1	परीक्षा तिथि को उपस्थिति / रिपोर्टिंग	20.04.2025 दिन-रविवार	प्रातः 9:00 बजे	-
2	कक्ष परीविक्षक (Invigilator) द्वारा परीक्षार्थी के OMR Sheet भराया जाना।	20.04.2025 दिन-रविवार	प्रात 09:30 से	प्रातः 10:00 बजे से
3	परीक्षा प्रारंभ एवं समाप्ति का समय	20.04.2025 दिन-रविवार	प्रातः 10:00 बजे से	दोपहर 01:00 बजे तक

विद्यार्थियों हेतु अनिवार्य निर्देश :-

1. परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी लगभग 01 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहे, जिससे उनके मूल पहचान से उनका पहचान किया जा सके एवं परीक्षा केन्द्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सकें।

2. परीक्षार्थी सम्पूर्ण प्रवेश पत्र पूर्णतः डाउनलोड करें और नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के दो फोटो सहित प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केन्द्र में जायें। परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा।

3. परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभांति परिचित हो जावें। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

4. परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई डी. प्रूफ जैसे आधार कार्ड/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र इत्यादि परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

5. परीक्षार्थियों केवल नीले/काले बॉलपाईंट पेन का उपयोग करेंगे।

6. परीक्षार्थियों को कैलकुलेटर, मोबाईल फोन, पर्स, पाउच, स्कार्फ अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स सामग्री ले जाया जाना पूर्णतः वर्जित है।

7. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र अथवा प्रवेश पत्र डाउनलोड के संबंध में कठिनाई होती है तो संबंधित जिले के कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कलेक्ट्रेट से प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क कर सकते है।

(पदुम सिंह एल्मा)
आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.

आर.ओ.08/जी-252600027/5

आकांक्षा आवासीय विद्यालय, जांजगीर चांपा (छ.ग.)

। आकांक्षा आवासीय कोचिग संस्थान में सत्र 2025-26 में कक्षा 11वीं के लिए प्रवेश की सूचना।

आकांक्षा कार्यक्रम जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 11 वीं कक्षा (वर्तमान में कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल) में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की इंजीनियरिंग, मेडिकल संबंधित प्रवेश परीक्षाओं में सफल होने हेतु 02 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि- **01.04.2025**
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि- **30.04.2025**
लिखित परीक्षा की संभावित तिथि- **मई का प्रथम सप्ताह**
आवेदन पत्र जमा करने का स्थान- **आकांक्षा आवासीय विद्यालय जिला पंचायत परिसर, जांजगीर चांपा छ.ग.**

(आवेदन पत्र केवल कार्यालयीन दिवस में कार्यालयीन अवधि 10:30 से 5:30 बजे तक ही जमा किया जा सकेगा)

क्र	कोर्स का नाम	कुल स्थान
1	मेडिकल	20
2	इंजीनियरिंग	40
	योग:-	**60**

आवेदन पत्र एवं अन्य जानकारी के लिए जांजगीर चांपा जिले के वेबसाईट www.janjgir-champa.nic.in का अवलोकन किया जा सकता है एवं आकांक्षा आवासीय विद्यालय, जिला पंचायत परिसर जांजगीर चांपा से भी संपर्क कर सकते है।

डिप्टी कलेक्टर
एवं नोडल अधिकारी
आकांक्षा कार्यक्रम जांजगीर चांपा

मेडिकल/इंजीनियरिंग

"आकांक्षा" कार्यक्रम अंतर्गत मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (सत्र 2025-26 के लिए)

नवीनतम् फोटो (छात्र/छात्रा)

1. छात्र का नाम :----------------------
2. पिता का नाम :----------------------
3. माता का नाम :----------------------
4. जन्मतिथि :--------शब्दों में -------
5. छात्र का आधार नंबर :---------------(छायाप्रति संलग्न करें)
6. छात्र का मोबाईल नंबर :----------------------
7. वर्ग (अजा/अजजा /अपिव/सा.) :----------------------
   (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. पिता का व्यवसाय :----------------------
9. पिता की वार्षिक आय :----------------------
10. माता का व्यवसाय :----------------------
11. माता की वार्षिक आयः- :----------------------
12. नाता पिता की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय :----------------------
    (आय प्रमाण पत्र संलग्न करें)
13. स्थायी पता :----------------------
    :----------------------
    :----------------------
14. पत्र व्यवहार का पता
15. पालक का व्हाट्सअप नंबर :----------------------
16. पालक का मोबाईल नंबर :----------------------
17. ई-मेल आईडी (यदि है तो) :----------------------
18. पालक का आधार नंबर :----------------------
19. स्थानीय अभिभावक का नाम :---------------------
20. छात्र से संबंध :----------------------
21. स्थानीय अभिभावक का पता :----------------------
22. व्यवसाय :----------------------
23. आधार नंबर :----------------------
24. व्हाट्सअप नंबर :----------------------
25. मोबाईल नंबर :----------------------

छात्र के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसा पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। मैंने छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते है या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासन का उल्लंघन किया जाता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

छात्र के हस्ताक्षर

पालक का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसा पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते है या छात्र किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता करता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

पालक का हस्ताक्षर

पालक का नवीनतम फोटोग्राफ्स

पालक का नाम----------------
छात्र से संबंध-----------------

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ्स

मैं श्री--------के पुत्र/पुत्री----------- का स्थानीय अभिभावक होना स्वीकार करता/करती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा/लूंगी।

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर
नाम ----------------

छात्र/छात्रा का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसा पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। मैंने छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त नियमों का पूर्णतः पालन करूंगा। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते है या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से अनुशासन का उल्लंघन किया जाता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

छात्र के हस्ताक्षर

पालक का घोषणा पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरी जानकारी के अनुसा पूर्णतः सत्य है। मैंने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। यदि भविष्य में उपरोक्त तथ्य असत्य पाये जाते है या छात्र किसी भी प्रकार से अनुशासनहीनता करता है तो शाला प्रबंधन को मेरा प्रवेश निरस्त करने या अन्य कोई भी उचित कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

पालक का हस्ताक्षर

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ

पालक का नाम----------------
छात्र से संबंध-----------------

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ्स

मैं श्री------के पुत्र/पुत्री-------- का स्थानीय अभिभावक होना स्वीकार करता/करती हूँ। आवश्यकता पड़ने पर मैं छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी लूंगा/लूंगी।

क्रमशः

स्थानीय अभिभावक का नवीनतम फोटोग्राफ

स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर
नाम ----------------

छात्र/छात्राओं एवं पालकों के लिए पालनीय नियम

1. यह कोचिंग कार्यक्रम जांजगीर चांपा जिले के मूल निवासियों के लिए है जो शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं हेतु संचालित है। (वर्तमान में कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल)।
2. छात्रावास में प्रवेश कक्षा 11वीं के लिए होगा जिसे छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आचार-व्यवहार के आधार पर आगे कक्षा 12वीं में प्रवेश के लिए बढ़ाया जावेगा।
3. छात्र/छात्राओं को विद्यालय परिसर में रहना आवश्यक है। विद्यालय परिसर में उन्हें निर्धारित गणवेश में रहना होगा।
4. पालक अपने पाल्य से केवल रविवार को अपरान्ह 1.00 बजे से 5.00 बजे के बीच मिल सकते हैं। पालकों का छात्रावास में प्रवेश वर्जित है। वे अपने पाल्य से निर्धारित स्थल पर ही मिल सकते है।
5. छात्र/छात्रा से मिलने वाले 2 लोगो का नाम, पता, गोबाईल नंबर एवं फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि अन्य व्यक्ति छात्र से मिलना वाहे तो नोडल अधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। पालक यदि नोडल अधिकारी से मिलना चाहे तो वे केवल कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में ही मिल सकेंगे।
6. चयनित छात्र/छात्रा के प्रवेश के समय पालक एवं स्थानीय अभिभावक को विद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है।
7. यदि किसी छात्र/पालक/स्थानीय अभिभावक के पते अथवा फोन नंबर में परिवर्तन होता है तो उनको कार्यालय में तत्काल सूचना देना अनिवार्य है।
8. छात्रावास में घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा अवकाश छात्रों को नहीं मिलेगा। अवकाश पर जाते समय छात्र अपने पालक अथवा अधिकृत व्यक्ति के साथ ही जा सकेंगे। छात्र को अकेले घर जाने की अनुमति नहीं होगी।
9. छात्रों को छात्रावास द्वारा निर्धारित दिनचर्या जैसे प्रातः एवं संध्या प्रार्थना, खेलकुद, विद्यालय तथा स्वाध्याय की कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य है।
10. पालको को अपने पाल्य की शैक्षणिक प्रगति तथा आचार व्यवहार आदि के संबंध में समय समय पर जानकारी लेते रहना आवश्यक है। विद्यालय में आयोजित पालक शिक्षक की बैठकों में पालकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
11. वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्रों को आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जावेगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, परीक्षाफल में पूरक की पात्रता होने या 'द' ग्रेड मिलने पर उन्हें अगले वर्ष पुनः शाला में प्रवेश देना संभव नहीं होगा।
12. विद्यालय से छात्रों के उपयोग के लिए सामग्रियाँ दी जाती है कुछ छात्र उन सामग्रियों को समय पूर्व ही नष्ट कर देते है अथवा गुमा देते है। ऐसे सामग्रियों की प्रतिपूर्ति पालकों को तत्काल करनी होगी। इसी प्रकार यदि छात्र द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित भवनों को अथवा सामग्रियों को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसके सुधार हेतु व्यय की गई राशि का भुगतान पालकों को करना होगा।
13. बिना अनुमति के छात्र विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे।
14. विद्यालय में बीमार बच्चों के लिए केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा है। बीमार होने की स्थिति में बच्चों के देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी पालक / स्थानीय अभिभावक की होगी।
15. विद्यालय परिसर में रहते हुए विद्यार्थी खेलकुद, बीमारी अथवा किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त होते है तो संस्था उसके लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा।
16. संस्था में प्रवेश लेने के उपरान्त विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
17. छात्र द्वारा विद्यालय के नियमों का उल्लंघन करने या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने पर विद्यालय द्वारा छात्रों को किसी भी समय किसी भी कक्षा से निकाला जा सकता है।
18. विद्यालय स्वच्छता अभियान हेतु समर्पित है। छात्रों को विद्यालय, छात्रावास एवं संस्था परिसर को स्वच्छ रखने की जवाबदारी होगी तथा यह छात्रों की दिनचर्या का एक अंग होगा। अन्यथा की स्थिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही छात्र/पालक को मान्य होगी।
19. समय समय पर छात्रावास में परिवर्तित / संशोधित तथा अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

डिप्टी कलेक्टर/नोडल अधिकारी
आकांक्षा कार्यक्रम जांजगीर चांपा

संयुक्त घोषणा

हमने उपरोक्तानुसार 01 से 19 तक दर्शित छात्रों एवं पालकों के लिए पालनीय नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। हम छात्रावास द्वारा निर्धारित नियमों एवं दिनचर्या का पूरी तरह पालन करेंगे।

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर   स्थानीय अभिभावक का हस्ताक्षर   पालक का हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा से मिलने वाले अन्य 02 व्यक्तियों का विवरण

1. नाम------------
2. छात्र से संबंध-----------
3. पता------------------
4. मोबाईल नंबर------------

छात्र से मिलने वाले का नवीनतम फोटोग्राफ्स

1 नाम------------
2. छात्र से संबंध---------
3. पता----------------
4. मोबाईल नंबर---------

छात्र से मिलने वाले का नवीनतम फोटोग्राफ्स

संयुक्त घोषणा

मै-------------छात्र/छात्र-------कक्षा-----------का पालक होने के नाते उपरोक्त 02 व्यक्तियों को छात्र/छात्रा से मिलने की अनुमति देता हूँ। उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा छात्रावास में नियमों का पूर्ण पालन किया जावेगा। उपरोक्त दर्शित हम दोनों व्यक्ति घोषणा करते है कि हमारे संबंध में उपरोक्त दर्शित जानकारी सही है और हमारे द्वारा छात्र से मिलते समय छात्रावास द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्णता पालन किया जावेगा।

पालक का हस्ताक्षर   छात्र से मिलने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर   छात्र से मिलने वाले अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

प्रवेश सूचना

1. यह कोचिंग कार्यक्रम केवल जांजगीर चांपा जिले के मूल निवासियों के लिए है। जिसमें छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।
2. आकांक्षा आवासीय विद्यालय पूर्णतः आवासीय है जिसमें प्रवेशित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवास, भोजन आदि की सुविधायें जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी।
3. शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 11वीं में जांजगीर चांपा जिले के आरक्षण रोस्टर के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें कुल सीटों का वर्गवार 30% छात्राओं के लिए आरक्षित है।
4. कक्षा 11वीं में प्रवेश केवल शिक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा। (वर्तमान में कक्षा 10वीं की परीक्षा में शामिल)।
5. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक शैक्षणिक अर्हता (10वीं मार्कशीट की छायाप्रति /इंटरनेट की सत्यापित छायाप्रति (प्राचार्य) से तथा अन्य अर्हता प्रमाण पत्र (आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड) आवेदन के समय जमा करने होंगे। दस्तावेज नहीं होने पर आवेदन निरस्त समझा जावेगा।
6. चयन होने की स्थिति में छात्र/छात्रा को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र मूल प्रति में आकांक्षा आवासीय विद्यालय में जमा करना होगा।
7. मेडिकल/इंजीनियरिंग कोर्स की अवधि 02 वर्ष की होगी, जो पूर्णतः निःशुल्क होगी।
8. चयन के पश्चात् संबंधित छात्र-छात्राओं को स्वयं के व्यय पर मुख्यालय स्थित शासकीय विद्यालय में अनिवार्य रूप से दाखिला लेना होगा।
9. एक विद्यार्थी द्वारा केवल एक ही प्रकार के कोचिंग (मेडिकल या इंजीनिरिंग) के लिए आवेदन किया जा सकेगा।
10. चूंकि यह पूर्णतः आवासीय कोचिंग है अतः चयनित छात्र-छात्राओं को 02 वर्ष आकांक्षा आवासीय परिसर में रहकर ही अध्ययन करना होगा।
11. चयन प्रक्रिया : छात्र-छात्राओं का चयन कक्षा 10वीं (शैक्षणिक सत्र 2024-25) उत्तीर्ण। उक्त विषयों में केवल सैद्धांतिक में प्राप्त अंक ही मान्य होंगे। प्रायोगिक के अंको को नहीं जोड़ा जावेगा।
    चयन हेतु 100 अंकों की स्वतंत्र लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। इसके पश्चात् मेरिट सूची के अनुसार चयन की कार्यवाही की जावेगी।
12. लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी जिसमें विज्ञान, गणित एवं मेडिकल, इंजीनियरिंग से संबंधित प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 02 घण्टे की होगी।
13. प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने हेतु सूचना अलग से नहीं भेजी जावेगी एवं छात्र/छात्राओं को किसी भी प्रकार की यात्रा-व्यय या अन्य भत्ता नहीं दिया जावेगा।
14. छात्रों को प्रवेश परीक्षा के समय मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त छात्रों को प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के समय सेनटाईजर आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
15. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर महोदय जांजगीर चांपा के पास सुरक्षित होगा। कलेक्टर महोदय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
16. चयनित छात्र/छात्राओं को अपना प्रवेश शुल्क एवं परीक्षा शुल्क स्वयं वहन करना होगा।
17. इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन जांजगीर चांपा द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा।

डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी
आकांक्षा कार्यक्रम जांजगीर चांपा

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

दूरभाष नम्बर- 07747-299067, ई-मेलआई.डी. -wcd-mmac@cg.gov.in

क्रमांक/1578/म.बा.वि./न.बि./2024-25 **दिनांक 19/03/2025**

छ.ग. शासन, मबावि, का पत्र क्रमांक एफ- 3-1/2022/मबावि/50 नवा रायपुर, दिनांक 20.12.2024 के द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन के लिए संचालित नवा बिहान योजना अंतर्गत जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी में रिक्त पदों पर पदपूर्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विज्ञापित का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल	प्रतिमाह एकमुश्त संविदा वेतन	पदों की संख्या	रिमार्क
1	महिला संरक्षण अधिकारी	लेवल-12	51780	1	-

योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। उक्त पद हेतु आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम दिनांक 15.04.2025 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग मोहला, जिला मोहला मानपुर-अं.चौकी (कॉलेज रोड बीईओ ऑफिस के बाजू में) के पते पर आमंत्रित किये जाते है।

नवा बिहान योजनांतर्गत जिला स्तरीय पदों पर नियुक्त होने वाले महिला संरक्षण अधिकारी के चयन हेतु आर्हताएं, मापदंड एवं अन्य शर्ते

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 केन्द्रीय अधिनियम है तथा इसके क्रियान्वयन के लिए केन्द्र शासन द्वारा नियम बनाये गये है। अधिनियम की कियान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों का है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार चिकित्सा, आश्रय एवं पुर्नवास, परामर्श सुविधा एवं घरेलू हिंसा रिपोर्ट तैयार किये जाने की सुविधा आदि उपलब्ध कराया जाना है। अधिनियम का कियान्वयन हेतु नवा बिहान योजना संचालित है।

नवा बिहान योजना अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी के चयन हेतु उल्लेखित न्यूनतम आर्हता, अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव एवं वांछित अतिरिक्त योग्यता एवं अन्य शर्तों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. नवा बिहान योजना अंतर्गत महिला संरक्षण अधिकारी के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव तथा कार्य दायित्व -

क्र.	पदनाम	अनिवार्य म्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	महिला संरक्षण अधिकारी	विधि स्नातक / एमएसडब्ल्यू	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	विधि स्नातक को न्यूनतम 05 वर्ष तक बार में पंजीकृत होकर नियमित प्रेक्टिस का अनुभव होना चाहिए। एमएसडब्ल्यू को शासकीय /अर्द्ध शासकीय अथवा शासन द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थान में महिला कल्याण, देखरेख एवं संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव	अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान। (कौशल परीक्षा ली जाएगी।)

2. उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्ते :-

2.1 इन पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 (यथा संशोधित) के अधीन किया जावेगा ये पद जिला स्तरीय पद हैं। अतः नियुक्तिकर्ता अधिकारी जिला कलेक्टर होंगे।

22 योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं हेतु निर्धारित है, अतः केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

2.3 संविदा नियुक्ति प्रारंभिक रूप से 01 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय, जिला स्तर पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात् संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लिया जावेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त मानी जायेगी।

2.4 संविदा नियुक्ति अवधि में राज्य के वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत एकमुश्त संविदा वेतन देय होगा। संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता, मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी।

2.5 इन पदों हेतु उपरोक्त निर्धारित एकमुश्त संविदा वेतन, वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 22/2023 में निर्धारित किए गए मासिक संविदा वेतन के अनुसार है तथा इन पदों पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर समान या विशेष आदेश द्वारा नियत किए गए एकमुश्त संविदा वेतन के अनुसार ही होंगे।

2.6 संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

2.7 संविदा पर नियुक्त किए गए इन संविदाकर्मियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार ही अवकाश एवं यात्रा भत्ता सुविधा की पात्रता होगी।

2.8 आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2.9 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

2.10 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। संविदा नियुक्ति होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/- के स्टॅाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.11 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

2.12 आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

2.13 शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।

2.14 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित /सत्यापित होना चाहिए।

2.15 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी. राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित्त अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जाये।

2.16 शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। प्रेक्टिसिंग लायर को बार काउंसिल का प्रमाण-पत्र तथा सुसंगत दस्तावेज व अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2.17 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।

2.18 लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।

2.19 लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट / टाईपिंग एवं कम्प्यूटर परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ता देय नहीं होगा।

2.20 प्रेक्टिसिंग लायर का संरक्षण अधिकारी के पद पर चयन होने की दशा में उसे वकालत / प्रेक्टीस करने की अनुमति नहीं होगी तथा उसे बार कॉउंसिल को अपना लाईसेंस समर्पित

क्रमशः

करना होगा।

2.21 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार्य होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ रू. 5/- का टिकट लगा हुआ एक लिफाफा भी संलग्न करें।

3. उपरोक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

3.1 उपरोक्त पद जिला स्तरीय संविदा पद हैं, अतः आवेदन पत्र संबंधित जिले में ही प्रस्तुत किया जाना होगा। जिले में इन पदों पर नियुक्ति हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय चयन समिति होगी। यह चयन समिति ही चयन संबंधी सारी प्रक्रिया पूरी करेगी।

3.2 प्रत्येक रिक्त पदवार आवेदन प्राप्त होने पर चयन समिति द्वारा मैरिट सूची तैयार की जाएगी। मैरिट सूची में निम्नानुसार 100 प्रतिशत अंकों का वैटेज देते' हुए, निर्धारित किए गए अंकों के आधार पर प्राप्तांकों से मैरिट सूची तैयार की जाएगी।

पदनाम	चयन प्रक्रिया
महिला संरक्षण अधिकारी	• वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 प्रतिशत अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक। • न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे। अधिकतम 20अंक तथा • लिखित परीक्षा/समूह चर्चा/ स्किल टेस्ट से संबंधित परीक्षा पर 20 अंक निर्धारित रहेंगे।

3.3 संरक्षण अधिकारी के पद पर केवल पात्र महिला उम्मीदवारों की ही मैरिट सूची तैयार की जाएगी।

3.4 मैरिट सूची तैयार करते समय चयन हेतु समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जायेगी, जिन उम्मीदवारों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।

4. चयन हेतु उम्मीदवारों के पात्रता/अपात्रता एवं प्राप्त आवेदनों के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

5. चयनित उम्मीदवार को पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही संबंधित पद पर उपस्थिति मान्य की जावेगी।

6. आवेदकों को निम्नानुसार दस्तावेज़ अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-

6.1 छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

6.2 जन्म तिथि को प्रमाणित करने हेतु जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्मतिथि का उल्लेख हो।

6.3 विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र।

6.4 अनिवार्य न्यूनतम अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज ।

6.5 अनिवार्य कौशल से संबंधित दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हो तो प्रस्तुत करें।

6.6 संरक्षण अधिकारी के पद पर एल.एल.एम./ विधि में पी.एच.डी आवेदक होने पर डिग्री/प्रमाण-पत्र।

6.7 उम्मीद्वार यदि केन्द्र या राज्य शासन के अधीन अन्य विभागों में कार्यरत हों तो संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.8 रूपये 50/- के स्टॉम्प पेपर पर निर्धारित आयु सीमा के पूर्व विवाह न होने संबंधी नोटरी से अभिप्रमाणित किया हुआ शपथ-पत्र।

6.9 पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटोग्रॉफ्स।

6.10 रूपये 10 की डाक टिकट लगा, अपने पत्राचार का पूर्ण पता लिखा हुआ एक लिफाफा।

- आवेदन का प्रारूप :-

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला मोहला-मानपुर-अं.चौकी (छ.ग.)

स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए

01. आवेदित पद का नाम :--------------------
02. आवेदिका का नाम (हिन्दी में) :--------------------
(अंग्रेजी में) :--------------------
03. पिता/पति का नाम :--------------------
04. स्थायी पता :--------------------
05. पत्र व्यवहार का पता :--------------------
06. जन्म तिथि (अंको में) शब्दो में :--------------------
07. दिनांक 01.01.2025 को आयु :--------------------
08. जाति/वर्ग (अजा./अजजा/अपिव/सामान्य) :--------------------
09. क्या आवेदिका शास./अर्द्धशासकीय/निजी संस्था में सेवारत है?:-:-----------
10. विवाहित/अविवाहित/विधवा / परित्यकता :--------------------
11. यदि आप विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि एवं जीवित संतान :- विवाह तिथि----
:- बच्चों की संख्या-----------

12. शैक्षणिक योग्यता :-

क्र.	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	हाईस्कूल परीक्षा					
2	हायर सेकेंडरी					
3	विधि स्नातक/एमएसडब्ल्यू					

13. अन्य योग्यता का विवरण
14. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न हाँ/नहीं)

क्र.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

15. आवेदक द्वारा अनिवार्य संलग्नों की सूचीः-

01. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंक सूची/प्रमाण पत्र। 02. 12वीं की अंकसूची/प्रमाण पत्र। 03. स्नातक विधि/एमएसडब्ल्यू की अंकसूची / प्रमाण पत्र। 04. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 05. निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति। 06. पहचान पत्र/आधार कार्ड/ वोटर आईडी इत्यादि।

16. अन्य संलग्न का विवरण :-

01.---------------02. -----------03. ----------

आवेदिका का हस्ताक्षर

- घोषणा पत्रः-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान----------
दिनांक---------

आवेदिका का हस्ताक्षर

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा (छ०ग०)

क्रमांक/दो-12-1/2023, जांजगीर, दिनांक 04.04.2025

// सूचना पत्र //

न्यायिक जिला स्थापना जांजगीर-चांपा में विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती किये जाने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसके तारतम्य में सामान्य स्थापना के अंतर्गत सहायक ग्रेड-3 एवं कोर्ट मैनेजर अमला लिपिक क्लर्क (संविदा) हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 23.03.2025 को नियत की थी जो अपरिहार्य कारणो से स्थगित कर दी गई थी। उपरोक्त पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 20-04-2025 को आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

सभी पात्र अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र कार्यालय के वेबसाईट https://janjgir.dcourts.gov.in पर परीक्षा केन्द्र के अनुसार जारी कर अपलोड किया गया है। जिसका अवलोकन अभ्यर्थियों द्वारा किया जा सकता है। वाट्सएप चैनल एवं टेलीग्राम के नीचे दिये QR-Code लिंक से परीक्षा संबंधी समस्त जानकारी अपडेट की जा रही है, उपरोक्त लिंक से अभ्यर्थी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

अध्यक्ष भर्ती एवं पदोन्नति समिति,
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जांजगीर-चांपा

आर.ओ.09 /जी-252600049.6

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़

विकास भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, भूतल नवा रायपुर, अटल नगर

दूरभाष कमांक-0771-2960272, e-mail-dp.cg@nic.in, Website-www.dpcg.cgstate.gov.in

क्रमांक/पंचा/आरजीएसए/144/2025/774 अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 21-03-2025

पंचायत सचालनालय अंतर्गत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं पंचायत संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश क्रमांक / पंचा/आरजीएसए/144B/2025/762 दिनांक 13.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तो, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 24.03.2025 से दिनांक 15.04.2025 सायं 5:00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल (https://dpcg.cgstate.gov.in/) में आमंत्रित किये जाते है, पदों का विवरण निम्नानुसार हैं :-

1. राज्य समन्वयक (पेसा) :-

पद :- राज्य समन्वयक (PESA)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से समाजशास्त्र/ मानव विकास/ ग्रामीण विकास प्रबंधन में 02 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. कम से कम 05 वर्ष का शासकीय/ अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत समान प्रकृति में कार्य का अनुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20%
	साक्षात्कार –10 अंक

- **संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/– एकमुश्त प्रतिमाह।**

पद :- विषय विशेषज्ञ (PESA)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

2. विषय विशेषज्ञ (पेसा) :-

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से समाजशास्त्र/मानव विकास/सोशल वर्क/ग्रामीण विकास प्रबंधन में 02 वर्षीय पाठ्यक्रम में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में 03 वर्ष का समान प्रकृति के कार्य का अनुभव।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20%
	साक्षात्कार –10 अंक

- **संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/– एकमुश्त प्रतिमाह।**

3. विषय विशेषज्ञ (Account & Audit) :-

पद :- विषय विशेषज्ञ (Account & Audit)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से M.Com./MBA (Finance) में न्यूनतम 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20%
	साक्षात्कार –10 अंक

- **संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/– एकमुश्त प्रतिमाह।**

4. विषय विशेषज्ञ (IT&E-Gov.) :-

पद :- विषय विशेषज्ञ (IT&E-Gov.)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई./ बी.टेक (कम्प्यूटर साईस/ आईटी) /एम.सी.ए. में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20%
	साक्षात्कार –10 अंक

- **संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/– एकमुश्त प्रतिमाह।**

5. विषय विशेषज्ञ (Panchayati Raj) :-

पद :- विषय विशेषज्ञ (Panchayati Raj)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रामीण विकास प्रबंधन/राजनीतिशास्त्र/ लोकप्रशासन में 02 वर्षीय पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण। 2. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान में संबंधित विषय में न्यूनतम 03 वर्ष का कार्यानुभव	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20%
	साक्षात्कार –10 अंक

- **संविदा मासिक मानदेय राशि 60,000/– एकमुश्त प्रतिमाह।**

6. सहायक राज्य समन्वयक (RGSA) :-

पद :- सहायक राज्य समन्वयक (RGSA)						
क्र.	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग :-		01	0	0	0	01

- **शैक्षणिक अर्हता :-**

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 60% अंकों के	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 60%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष

क्रमशः

न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक डिग्री उत्तीर्ण।	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
2. कम से कम 01 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 20%
	साक्षात्कार –10 अंक

- संविदा मासिक मानदेय राशि 36,500/– एकमुश्त प्रतिमाह।

7. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर :–

क्र.	वर्ग	पद :– डाटा एन्ट्री ऑपरेटर / पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	02	0	0	0	02
2	अनसूचित जाति	01	0	0	0	01
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	0	0	0	01
4.	अनुसूचित जनजाति	02	0	0	0	02
	कुल योग :–	06	0	0	0	06

- शैक्षणिक अर्हता :–

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 50%
2. मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छ.ग. शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (KEY) डिप्रेशन घंटा की गति का प्रमाण पत्र। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।	स्नातक के अंको का अधिभार–10%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 30%

- संविदा मासिक मानदेय राशि 23,350/– एकमुश्त प्रतिमाह।

8. सहायक ग्रेड–03 (पंचायत संचालनालय हेतु 02 एवं एस.आई.आर.डी. निमोरा हेतु 02):–

क्र.	वर्ग	पद :– सहायक ग्रेड–03 / पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	विक.	योग
1.	अनारक्षित	02	0	0	0	02
2.	अनसूचित जाति	01	0	0	0	01
3.	अनुसूचित जनजाति	01	0	0	0	01
	कुल योग :–	04	0	0	0	04

- शैक्षणिक अर्हता :–

निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट हेतु निर्धारण
1. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अर्हता अनुसार।	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंको का अधिभार– 50%
2. मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था अथवा छ.ग. शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी एवं अंग्रेजी में 5000 की (KEY) डिप्रेशन घंटा की गति का प्रमाण पत्र। गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।	स्नातक के अंको का अधिभार– 10%
	शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक (पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता)
	कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार– 30%

संविदा मासिक मानदेय राशि 18,000/- एकमुश्त प्रतिमाह। उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत् है :-

01. न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के आधार पर की जावेगी।
02. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के तहत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
03. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
04. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
05. संविदा अवधि, नियुक्ति दिनांक से योजना अवधि अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक मान्य होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्ता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण अवधि 01 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
06. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
07. संविदा में नियुक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।
08. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
09. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ की पात्रता नहीं होगी।
11. उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
12. राज्य एवं जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा एवं 01 पद के विरूद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिए तथा उनमें से 01 पद के विरूद्ध 05 प्रतिभागियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। तद्धपरांत निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
13. मूल प्रमाण पत्रों की जांच / कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा / साक्षात्कार के उपरांत सर्वोच्य अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। शेष आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं पद रिक्त होने पर उसी प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
14. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत् आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
15. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
16. आवेदक जिसने विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
17. उम्मीदवार जिसनें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
18. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेय समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
19. नियुक्ति के संबंध में संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

संचालक,
पंचायत संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

ब्लॉक-4, भूतल, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / EMRS/456/2024-25/183 नवा रायपुर, दिनांक 02/04/2025

-: सूचना ::-

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6वीं (शिक्षण सत्र 2025-26) प्रवेश परीक्षा का परिणाम सूचना

शिक्षण सत्र 2025-26 में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर विभिन्न जिला मुख्यालयों में दिनांक 02.03.2025 को प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसका परीक्षा परिणाम घोषित् करते हुए जिलावार सूची पर अवलोकन हेतु https://eklavya.cg.nic.in/ पर उपलब्ध है। परीक्षा परिणाम के संबंध में विद्यार्थी अपना नाम, रोल नंबर में कोई त्रुटि हो तो अपने आवेदन में पूर्ण विवरण एवं मोबाईल नम्बर देते हुए प्रमाण स्वरूप प्रवेश पत्र के साथ संलग्न कर ई-मेल आई०डी० cgemrs.admission2526@gmail.com पर दिनांक 11.04.2025 रात्रि 12.00 बजे तक कर सकते हैं। इस तिथि के पश्चात् किया गया दावा-आपत्ति मान्य नही होगा।

आयुक्त
(पदुम सिंह एल्मा)
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर

आर.ओ.10/जी-252600049.6

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक / स्था. अवि./37/2025/210 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28-03-25

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/एफ 1-82/2024/सत्रह / एक, दिनांक 14.08.2024 से वित्त विभाग के जावक क्रमांक 501/वित्त विभा/ब-3/2024, दिनांक 07.08.2024 द्वारा संभाग एवं जिला स्तरीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 525 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु अनुमति प्राप्त है। उक्त पदों को सीधी भर्ती के लिये छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, के वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जायेंगे। परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

क्रं.	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या
1	स्टॉफ नर्स	लेवल-7 वेतन 5200-20200	तृतीय	225
2	ग्रामीण स्वास्थ्य संयो. पुरूष	लेवल-5 वेतन 5200-20200	तृतीय	100
3	ग्रामीण स्वास्थ्य संयो. महिला	लेवल-5 वेतन 5200-20200	तृतीय	100
4	वार्ड ब्वॉय	लेवल -1 वेतन 4750-7440	चतुर्थ	50
5	वार्ड आया	लेवल -1 वेतन 4750-7440	चतुर्थ	50

टीपः-

1. पदों से संबंधित नियम एवं शर्तें विस्तृत विज्ञापन में व्यापम के वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in में पृथक से अपलोड की जावेगी।
2. उपरोक्त नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर दिनांक 03.05.2023 में जारी निर्देशानुसार माननीय उच्तम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 अंतिम आदेश / निर्णय के अध्यधीन होंगी।
3. परीक्षा के नियम एवं शर्तें पाठ्यक्रम तथा परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन की विधि, परीक्षा संचालन संबंधी निर्देश व्यापम के वेबसाईट vyapamcg.cgstate.gov.in पर पृथक से अपलोड की जावेगी।
4. पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

संचालक
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

आर.ओ.11 /जी-252600035/6

कार्यालय, मुख्य विद्युत निरीक्षक

'बी' ब्लॉक, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटलनगर (छ.ग.)

दूरभाष क्र. 0771-2331482, Email ceiraipur@gmail.com

पर्यवेक्षक परीक्षा 2025

छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विनियम) 1960 (अनुकूलन 2000) के प्रावधानानुसार पर्यवेक्षक सक्षमता प्रमाण पत्र(पर्यवेक्षक परीक्षा 2025) के लिए आवेदन पत्र दिनांक 01/04/2025 से 30/04/2025 तक कार्यालयीन दिवस में इस कार्यालय द्वारा निःशुल्क प्रदाय किया जावेगा।

पर्यवेक्षक परीक्षा हेतु पूर्ण भरा आवेदन पत्र डाक द्वारा या सीधे कार्यालय में दिनांक 01/04/2025 से 30/04/2025 तक कार्यालयीन दिवस में जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30/04/2025 है, विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

(डी॰पी॰ सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल (विद्युत)

आर.ओ.12 /जी-252600014/5

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमंडल, रायपुर (छ.ग.)

(0771)2427640, Fax: 2427640-E-mail-dfo_raipur@rediffmail.com

क्रमांक /स्था./रा/1014 रायपुर, दिनांक 02/04/25

// दावा-आपत्ति की सूचना //

छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वन मुख्यालय नवा रायपुर/ मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) / वन प्रबंधन सूचना प्रणाली / अनुसंधान एवं विस्तार / रायपुर वनमंडल के भारी वाहन चालक एवं हल्का वाहन चालक के रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती की कार्यवाही अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की जांच उपरांत पुनरीक्षित पात्र/अपात्र सूची तैयार की गई जिसे विभागीय वेबसाईट https://forest.cg.gov.in में अपलोड कर दिया गया है। अतः आवेदित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिस किसी अभ्यर्थी को पात्र/अपात्र के संबंध में किसी प्रकार की दावा-आपत्ति हो तो **दिनांक 11.04.2025 तक ई-मेल आई.डी. dfo_raipur@rediffmail.com में e-mail कर ऑनलाईन दावा-आपत्ति कर सकते हैं। जिस हेतु दावा-आपत्ति की जा रही है उसका वैध एवं स्पष्ट दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। उक्त तिथि पश्चात् प्राप्त होने वाले दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।**

वनमंडलाधिकारी
रायपुर वनमंडल, रायपुर

आर.ओ.13/जी-252600072.5

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण

7वीं -8वीं मंजिल, हिंदुस्तान टाइम्स हाउस 18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण दिनांक 19 और 20 फरवरी 2025 के रिक्ति परिपत्र के माध्यम से अपनी वेबसाइट www.nfra.gov.in पर दिए गए विवरण के अनुसार, प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध, जो भी लागू हो, के आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय या केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों/ राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकारियों/भारतीय रिजर्व बैंक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सरकारी वित्तीय संस्थानों /नियामक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त और सांविधिक निकायों/अन्य सरकारी संस्थानों के अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करता है.

(i)	कार्यकारी निदेशक	01	पद
(ii)	मुख्य महाप्रबंधक	03	पद
(iii)	महाप्रबंधक	03	पद
(iv)	उप महाप्रबंधक	01	पद
(v)	सहायक प्रबंधक	01	पद
(vi)	पीए/जीए (गेड-III)	04	पद
(vii)	पीए/जीए (गेड-II)	03	पद
(viii)	पीए/जीए (गेड-1)	03	पद
(ix)	वरिष्ठ निजी सचिव	03	पद
(x)	निजी सचिव	01	पद
(xi)	ड्राइवर	02	पद

तद्नुसार, इच्छुक और योग्य अधिकारी विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 20 दिन के अंदर उचित चैनल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं.

कार्यालय जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)

Ph.no. -0771-2426739, Fax No.-2422124, Email-zp-raipur.cg@nic.in

क्रमांक /17/आर जी एस ए/जि. पंचा/ 2025 | रायपुर दिनांक 02/04/25

-: संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापनः-

पंचायत सचालनालय अंतर्गत Revamped राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना में अधोलिखित रिक्त संविदा पदों पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं पंचायत संचालनालय छ.ग. विकास भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक भूतल नवा रायपुर अटल नगर रायपुर द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान हेतु जारी मार्गदर्शिका के आदेश क्रमांक / पंचा/आरजीएसए/1448/2025/762 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 13.03.2025 एवं पत्र क्रमांक पंचा/आरजीएसए/1448/2025/771 दिनांक 20.03.2025 में विहित प्रावधान अनुसार निर्धारित सेवा शर्तों, अर्हता एवं योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से दिनांक 03.04.2025 से दिनांक 17.04.2025 सायं 5:00 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नही किये जायेंगें। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनो पर विचार नही किया जावेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जिले की वेबसाईट (https://raipur.gov.in) तथा जिला पंचायत रायपुर के सूचना पटल से प्राप्त कर सकते है।

जिला रायपुर जिला समन्वयक (DPM)- RGSA

पदः- जिला समन्वयक (DPM) RGSA						
क्र	वर्ग	पद संख्या				
		मुक्त	महिला	भू.सै.	दिव्यांग	योग
1	अनारक्षित	01	0	0	0	01
कुल योग		01	0	0	0	01

शैक्षिणक योग्यताः-

निर्धारित	संविदा वेतन रू. में	निर्धारित अर्हता	100 अंको का मेरिट निर्धारण	
जिला समन्वयक (DPM)-RGSA	44,450 एकमुश्त	1. मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ई/बी.टेक (कम्प्यूटर सांईस / आईटी) / एम.सी.ए./बी.एस.सी. (कम्प्यूटर सांईस / आईटी) में न्यूनतम 60% अंक । 2. कम से कम 02 वर्ष का शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन का कार्य अनुभव	अनिवार्य शैक्षाणिक योग्यता के अंको का अधिभार-70%	70
			शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय 10 का अनुभव हेतु (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक	10
			पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में कार्यानुभव को प्राथमिकता	
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा (एम.एस. ऑफिस) के अंको का अधिभार 20%	20

उक्त संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत् हैः-

01. उक्त रिक्त पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में दिनांक से दिनांक तक स्वीकार किये जायेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज तक (स्व-प्रमाणित) की प्रति सहित पंजीकृत / स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक कार्यालयीन दिवस एवं समय में गुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों विचार नहीं किया जावेगा।
02. न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं छूट लागू होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 के आधार पर की जावेगी।
03. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के तहत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
04. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति सलग्न किया जाना होगा।
05. आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किये गये रागस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न न होने एवं उक्त दस्तावेजों के रख-प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।
06. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
07. संविदा अवधि, नियुक्ति दिनांक से योजना अवधि अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, तक मान्य होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जाएगा। गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण अवधि 01 वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
08. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
09. संविदा में नियुक्त व्यक्ति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में निहित अवकाश की पात्रता होगी।
10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।
11. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति के पश्चात संविदा अवधि के दौरान दी गई सेवा के लिए किसी भी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्युलाभ की पात्रता नहीं होगी।
13. उपरोक्त संविदा सेवा में योजना के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित मासिक एकमुश्त वेतन देय होगा, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता, इत्यादि नहीं दिया जायेगा।
14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जावेगा एवं 01 पद के विरूद्ध 10 प्रतिभागियों को कौशल परीक्षा के लिए तथा उनमें से 01 पद के विरुद्ध 05 प्रतिभागियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। तद्धपरांत निर्धारित अर्हता के प्राप्तांकों में कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार की जावेगी।
15. मूल प्रमाण पत्रों की जांच / कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा / साक्षात्कार के उपरांत सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक की नियुक्ति का आदेश संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। शेष आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं पद रिक्त होने पर उसी प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा। साथ ही शासन से अनुदान प्राप्त शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 06 माह का पे स्लीप व प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विकासखंण्ड समन्वयक या इनके समकक्ष अथवा इनसे उच्च पदों पर कार्य करने का अनुभव ही मान्य होगा।
17. 06 माह या उससे कम अवधि के अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा। 6 माह से अधिक अवधि के अनुभव के लिए 1 वर्ष के अनुभव का अंक दिया जावेगा। (प्रत्येक वर्ष हेतु अनुभव के अंको की गणना इसी पद्धति के अनुसार की जावेगी)।
18. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, विज्ञापन के अंतिम तिथि या उसके पूर्व को होना अनिवार्य है। अंतिम तिथि के बाद जारी कोई प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
19. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर गान्य नही किया जावेगा। मूल आवेदन पत्र में संलग्न किये गये प्रामण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।
20. दावा-आपत्ति में केवल कार्यालयीन लिपकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा, अन्य किसी भी विषय पर आवेदन स्वीकार नहीं कियें जायेंगे।
21. सगान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
22. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।
23. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

क्रमशः

24. आवेदक जिसने विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
25. उम्मीदवार जिसनें ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की सगाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
26. नियुक्ति पर अभ्यर्थी को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
27. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
28. संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेंय समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
29. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में पर किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर का होगा, जो बंधनकारी एवं सर्वमान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर

संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
आवेदित पद का नाम जिला समन्वयक (DPM)-RGSA
संबधित जिला का नाम - रायपुर

अभ्यर्थी नवीनतम स्व-प्रमाणित फोटो चिपकाएं

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायपुर (छ.ग.)

1. अभ्यर्थी का नाम अ. हिन्दी में - :-------------------------
   ब. अंग्रेजी में - :-------------------------
2. पिता/पति का नाम :-------------------------
3. लिंगः- (महिला/पुरुष/तृतीय लिंग) :-------------------------
4. जन्मतिथिः अ. (अंको में) :-------------------------
   ब. (शब्दों में) :-------------------------
   स दिनांक 01.01.2025 को आयुः वर्ष----माह----दिन-----
   (हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10वी परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. वर्ग- (अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) :-------------------------
6. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता(हिन्दी में) :-------------------------
   ----

   जिला :----राज्य :----पिन----
7. स्थायी पता (हिन्दी में) :-------------------------
   :-------------------------
   :-------------------------
   जिला :----राज्य :----पिन----
8. मोबाईल नम्बर :------------------------
9. ई-मेल आई डी :-------------------------
10. आधार नंबर :-------------------------
11. शैक्षणिक योग्यताः-(शैक्षणिक योग्यता प्रमाणत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

क्र	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय समूह का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
01						
02						
03						
04						
05						
06						

12. अनुभव का विवरण (न्यूनतम वाछित अनुभव)

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
01	2	3	4	5	6	7
01						
02						
03						
04						

13. पंचायत संचालनालय अंतर्गत कार्य अनुभव का विवरणः-

क्र	राज्य/जिला/वि.ख. का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह
01						
01						
02						
03						
04						

14. वर्तमान में कार्यरत होने संबंधी विवरण (यदि हो तो):-

क्र	राज्य/जिला/ वि.ख. का नाम	पदनाम	विभाग /संस्था का नाम	नियुक्ति दिनांक
1	2	3	4	5
1				

15. वैवाहिक स्थितिः- :-------------------------
   (क) विवाहित/अविवाहित :-------------------------
   (ख) विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरा जावे
   विवाह का दिनांक :-------------------------
   (ग) परिवार में संतानो की संख्या :-------------------------
16. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-
   1----------------------
   2----------------------
   3------------------------
   4-----------------------
   5------------------------
   6------------------------
   7------------------------
   8-------------------------
   9------------------------
   10------------------------

स्थान :---------
दिनांकः---------

अभ्यार्थी का हस्ताक्षर
नाम :--------------

-: घोषणा :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण रूप से सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने पर पूर्णअधिकार होगा।

स्थान :------
दिनांक :------

आवेदक का हस्ताक्षर

नामः----------------
मो.न----------------

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान

शेखपुरा, पटना 800 014 (बिहार सरकार का एक स्वायत्त संस्थान) आईजीआईएमएस मेडिकल कॉलेज, आईजीआईएमएस नर्सिंग कॉलेज

फोन: 0612-2297631, 2297099; फैक्स: 0612-2297225, वेबसाइट: www.igims.org ई-मेल: director@igims.org

विभिन्न विभागों के लिए संकाय पदों पर नियुक्ति

इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के विभिन्न विभागों में निम्नलिखित सहायक प्राध्यापक के पदों के लिए सीधी भर्ती के आधार पर नियमित नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

क्र	विभाग का नाम	पद	रिक्तियों की संख्या	रोस्टर स्थिति
विज्ञापन सं. 04 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
01	एनेस्थेसियोलॉजी *	सहायक प्राध्यापक	09	अनुसूचित जाति-02, अनुसूचित जाति(म.)-01, महिला पिछड़ा वर्ग-01, आर्थिक रूप से कमजोर-01, अनारक्षित-03, अनारक्षित(म.)-01
विज्ञापन सं. 05 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
02	ब्लड बैंक	सहायक प्राध्यापक	02	अनारक्षित-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01
विज्ञापन सं. 06 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
03	रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओफ्थल्मोलॉजी	सहायक प्राध्यापक : ओफ्थल्मोलॉजी	06	अनारक्षित-02, अनारक्षित(म.-01), पिछड़ा वर्ग-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01 (नोट: दिव्यांग के लिए आरक्षित: 01 क्षैतिज आधार पर नेत्रहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
		सहायक प्राध्यापक : कम्युनिटी ओफ्थल्मोलॉजिस्ट	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01
विज्ञापन सं. 07 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
04	कम्युनिटी मेडिसिन	चिकित्सा पदाधिकारी सह सहायक प्राध्यापक	02	अनारक्षित-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01
विज्ञापन सं. 08 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
05	ईएनटी	सहायक प्राध्यापक	01	अनारक्षित-01
विज्ञापन सं. 09 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
06	एफएमटी	सहायक प्राध्यापक	02	अनुसूचित जाति-01, अनारक्षित-01
विज्ञापन सं. 10 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
07	जनरल मेडिसिन *	सहायक प्राध्यापक	03	अनुसूचित जाति-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनारक्षित-01 (नोट: दिव्यांग के लिए आरक्षित: 01 क्षैतिज आधार पर नेत्रहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
विज्ञापन सं. 11 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
08	जनरल सर्जरी *	सहायक प्राध्यापक	05	अनुसूचित जन जाति-01, पिछड़ा वर्ग-01, आर्थिक रूप से कमजोर-01, अनारक्षित-02 (नोट: दिव्यांग के लिए आरक्षित: 01 क्षैतिज आधार पर नेत्रहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
विज्ञापन सं. 12 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
09	हेमेटोलॉजी *	सहायक प्राध्यापक	04	अनारक्षित-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01
विज्ञापन सं. 13 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
10	इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर	सहायक प्राध्यापक : लेब मेडिसिन	01	अनारक्षित-01
विज्ञापन सं. 14 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
11	माइक्रोबायोलॉजी *	सहायक प्राध्यापक	05	अनारक्षित-01, आर्थिक रूप से कमजोर-01, पिछड़ा वर्ग-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01
विज्ञापन सं. 15 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
12	आब्सटेट्रिक्स एवं गायनेकोलॉजी	मातृत्व एवं बाल कल्याण अधिकारी सह सहायक प्राध्यापक	01	अनारक्षित-01
विज्ञापन सं. 16 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
13	पेडियाट्रिक्स	सहायक प्राध्यापक	01	अत्यंत पिछड़ा वर्ग - 01
विज्ञापन सं. 17 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
14	पैथोलॉजी *	सहायक प्राध्यापक	07	अनारक्षित-02, अनारक्षित(म.)-01, आर्थिक रूप से कमजोर-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-02 (नोट: दिव्यांग के लिए आरक्षित: 01 क्षैतिज आधार पर नेत्रहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
विज्ञापन सं. 18 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
15	पीएमआर	सहायक प्राध्यापक	01	अनारक्षित-01
विज्ञापन सं. 19 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
16	प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी	सहायक प्राध्यापक	03	अनारक्षित-02, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01
विज्ञापन सं. 20 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
17	साइकियाट्री	सहायक प्राध्यापक	01	अनुसूचित जाति-01
विज्ञापन सं. 21 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
18	रेडियोलोजी *	सहायक प्राध्यापक	10	अनारक्षित-02, अनारक्षित(म.)-01, आर्थिक रूप से कमजोर-01, पिछड़ा वर्ग-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-01, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-02, (बीएल), अनुसूचित जाति-01, अनुसूचित जन जाति-01 (बीएल) (नोट: दिव्यांग के लिए आरक्षित: 01 क्षैतिज आधार पर नेत्रहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
विज्ञापन सं. 22 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
19	रेडिएशन ऑन्कोलॉजी	सहायक प्राध्यापक	04	अनारक्षित-02, अति पिछड़ा वर्ग-01, अनुसूचित जाति-01 (नोट: दिव्यांग के लिए आरक्षित: 01 क्षैतिज आधार पर नेत्रहीन एवं निम्न दृष्टि के लिए)
विज्ञापन सं. 23 / Faculty / IGIMS / Estt. / 2025				
20	स्किन एंड वी.डी.	सहायक प्राध्यापक	01	अनुसूचित जाति-01

नोट : * एनेस्थिसियोलॉजी के सहायक प्राध्यापक के 09 पदों में से आरआईओ के लिए 02 पद एवं एससीआई के लिए 03 पद।
* जनरल मेडिसिन के सहायक प्राध्यापक के 03 पदों में से 01 पद ईएंडटी के लिए।
* जनरल सर्जरी के सहायक प्राध्यापक के 05 पदों में से 04 पद ईएंडटी के लिए।
* हेमेटोलॉजी के सहायक प्राध्यापक के 04 पदों में से 04 पद एससीआई के लिए।
* माइक्रोबायोलॉजी के सहायक प्राध्यापक के 05 पदों में से 03 पद एससीआई के लिए।
* पैथोलॉजी के सहायक प्राध्यापक के 07 पदों में से आरआईओ के लिए 01 पद एवं एससीआई के लिए 06 पद।
* रेडियोलॉजी के सहायक प्रोफेसर के 10 पदों में से ईएंडटी के लिए 02 पद, एससीआई के लिए 01 पद एवं आरआईओ के लिए 01 पद।

उपरोक्त रिक्तियां अनंतिम हैं और इनमें परिवर्तन हो सकता है। निदेशक, आईजीआईएमएस, पटना को बिहार सरकार के नियमों/परिपत्रों और आवश्यकताओं के अनुसार आरक्षित रिक्तियों सहित रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार है।

वेतनमान :

01	सहायक प्राध्यापक	लेवल 12 (रु. 101500) + एनपीए एवं अन्य भत्ते (केवल मेडिकल योग्य उम्मीदवारों के लिए एनपीए)

ऊपरी आयु सीमा : संकाय पदों के लिए आवेदन जमा की अंतिम तिथि को 50 वर्ष।

राज्य सरकार के नियमानुसार नियमित नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट, यानी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 05 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के लिए 03 वर्ष और सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष।

- **महिला उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में (जहां लागू हो) संबंधित विभाग के लिए उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है।**
- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में (जहां लागू हो) संबंधित विभाग के लिए अनारक्षित उम्मीदवार पर विचार किया जा सकता है।**

सहायक प्रोफेसर के विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव निम्नानुसार हैं :-

क्र. सं.	विभाग के नाम	पद के लिए आवश्यक योग्यताएं और अनुभव
01	एनेस्थिसियोलॉजी	**आवश्यक योग्यताएं :-** 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी एनेस्थिसियोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव :-** एनेस्थिसियोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं/या अनुसंधान का अनुभव।
02	ब्लड बैंक	**आवश्यक योग्यताएं :-** 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या ब्लड बैंकिंग में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव :-** ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन या ब्लड बैंकिंग में एमडी की योग्यता डिग्री या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इम्यूनोलॉजी, हेमेटोलॉजी, फ्रैक्शनेशन तकनीक एवं रक्त आधान के नैदानिक पहलुओं में विशेष प्रशिक्षण के साथ ब्लड बैंक में तीन साल का शिक्षण और/या अनुसंधान अनुभव।
03	रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओफ्थल्मोलोजी	**आवश्यक योग्यताएं :-** 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी ओफ्थल्मोलॉजी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव :-** ओफ्थल्मोलॉजी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं/या अनुसंधान का अनुभव।
04	कम्युनिटी मेडिसिन	**आवश्यक योग्यताएं :-** 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी कम्युनिटी मेडिसिन में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव :-** कम्युनिटी मेडिसिन में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं/या अनुसंधान का अनुभव।
05	ईएनटी	**आवश्यक योग्यताएं :-** 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी ईएनटी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव :-** ईएनटी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं/या अनुसंधान का अनुभव।
06	एफएमटी	**आवश्यक योग्यताएं :-** 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी एफएमटी मेडिसिन में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता।

क्रमशः

		अनुभव :- एफएमटी मेडिसिन में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
07	जनरल मेडिसिन	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी जनरल मेडिसिन में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- जनरल मेडिसिन में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
08	जनरल सर्जरी	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी जनरल सर्जरी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- जनरल सर्जरी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
09	हेमेटोलॉजी	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी पेथौलॉजी / हेमेटोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- पेथौलॉजी / हेमेटोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
10	इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर : लेब मेडिसिन	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी लेबरोट्री मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी या पेथौलॉजी या बायोकेमेस्ट्री या हिमेटोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- उपरोक्त विशेषताओं में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
11	माइक्रोबायोलॉजी	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी माइक्रोबायोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- माइक्रोबायोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
12	आब्सटेट्रिक्स एवं गायनोकॉलोजी मातृत्व एवं बाल कल्याण अधिकारी सह सहायक प्राध्यापक	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी आब्सटेट्रिक्स एवं गायनेकोलॉजी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- आब्सटेट्रिक्स एवं गायनोकॉलोजी में एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
13	पेडियाट्रिक्स	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी पेडियाट्रिक्स में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- पेडियाट्रिक्स में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने
		के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
14	पैथोलॉजी	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी पैथोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- पैथोलॉजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
15	पीएमआर	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी पीएमआर में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- पीएमआर में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
16	प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी कम्यूनिटी मेडिसिन या प्रिवेंटिव एंड सोसल मेडिसिन / मेडिसिन / सर्जरी / आब्सटेट्रिक्स एवं गायनेकॉलोजी / इएनटी / पेडियाट्रिक्स / रेडियो थेरेपी में एमडी / एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- उपरोक्त विशेषताओं में एमडी / एमएस या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
17	साइकियाट्री	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी साइकइट्री में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- साइकियाट्री में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
18	रेडियोलॉजी	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी रेडियोलोजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- रेडियोलोजी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
19	रेडिएशन ऑन्कोलॉजी	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी रेडियोथेरेपी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- रेडियोथेरेपी में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।
20	स्किन एंड वी.डी.	**आवश्यक योग्यताएं** :- 1) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूची I और II या तीसरी अनुसूची के भाग II में वर्णित चिकित्सा योग्यता (तीसरी अनुसूची के भाग II में शामिल योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को भी पूरा करना चाहिए)। 2) स्नातकोत्तर योग्यता, यानी स्किन एंड वी.डी. में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता। **अनुभव** :- स्किन एंड वी.डी. में एमडी या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने के बाद विशेषता के विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान में तीन साल का शिक्षण एवं / या अनुसंधान का अनुभव।

क्रमशः

नोट : डीएनबी समकक्षता :- जो लोग योग्यता शिक्षा के रूप में व्यापक विशेषज्ञता या सुपर स्पेशियलिटी में डीएनबी रखते हैं, उन्हें एमसीआई, नई दिल्ली अधिसूचना दिनांक 31.10.2018 के अनुसार एमडी/एमएस/डीएम/एम.सीएच के साथ डीएनबी समकक्षता के बारे में सक्षम/उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। जिन लोगों ने उपरोक्त एमसीआई अधिसूचना के पैरा 2 (ए) और (बी) के तहत दिए गए संस्थान से डीएनबी प्रशिक्षण लिया है - उन्हें योग्यता डिग्री के बाद अतिरिक्त अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी। जिन लोगों ने उपरोक्त एमसीआई अधिसूचना के (सी) और (डी) में दिए गए संस्थान में डीएनबी प्रशिक्षण लिया है, उन्हें समकक्षता के लिए एमसीआई से मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त संस्थान से क्रमशः 1 वर्ष एवं 2 वर्ष का अतिरिक्त अनुभव यानी कुल 4 एवं 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अनुभव : अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी।

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोज़गार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को अपेक्षित दस्तावेजों के साथ स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कूरियर द्वारा केवल इस पते पर जमा करें : **निदेशक, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना - 800014**

प्रयुक्त संक्षिप्त नाम : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) अनारक्षित (यूआर) पिछड़ी जाति (बीसी), अत्यंत पिछड़ी जाति (ईबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), महिला पिछड़ी जाति (डब्ल्यूबीसी)

सामान्य निर्देश

1. **आवेदन पत्र संस्थान की वेबसाइट http:www.igims.org से डाउनलोड किया जा सकता है।**
2. **आवेदन की शुल्क:** आवेदन पत्र की शुल्क (गैर-वापसी योग्य) रू. 1000/- एक हजार **(रू. 250/- दो सौ पचास: अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों के लिए) है।** सभी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र अपेक्षित आवेदन शुल्क (गैर-वापसी योग्य) के साथ **निदेशक, आईजीआईएमएस, पटना-14 के पक्ष में पटना में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ होना चाहिए। आवेदन की शुल्क के साथ आवेदन न करने वाले आवेदन/आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।**
3. कार्यरत उम्मीदवार हेतु चयन और नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद, योगदान करने से पहले पिछले नियोक्ता से त्यागपत्र के बाद डिस्चार्ज/विरमित प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
4. वेतन के अलावा, एनपीए (केवल मेडिकल उम्मीदवार के लिए) और अन्य भत्ते नियमित नियुक्ति के लिए नियमानुसार स्वीकार्य होंगे।
5. ये पद **गैर-अभ्यास** वाले हैं और प्रयोगशाला अभ्यास सहित किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निजी अभ्यास सख्त वर्जित है। यदि ऐसे अभ्यासों में लिप्त पाया जाता है, तो उम्मीदवार की नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।
6. परिसर में रहना अनिवार्य है, यदि आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो नियमानुसार मकान किराया भत्ता देय होगा।
7. आरक्षण बिंदु और ऊपरी आयु सीमा में छूट बिहार सरकार के नियमानुसार लागू होगी। **आरक्षण का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी उम्मीदवार को ही मिलेगा और बिहार राज्य के बाहर के आवेदक आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार को बिहार सरकार के नियमानुसार आरक्षण और छूट का लाभ दिया जाएगा। सरकारी संस्थान में काम करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार छूट दी जाएगी।**
   1. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण बिहार सरकार के नियमों के अनुसार है।
   2. **पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार के लिए:** उम्मीदवारों को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित पदों के लिए वैध प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें उल्लेख किया गया हो कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है **(फॉर्म-एक्स)।**
   3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र 01-04-2024 के बाद साक्षात्कार की तिथि तक जारी किया जाना चाहिए।
   4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं PWD के लिए बिहार सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।
8. आरक्षण नियम के संबंध में जो भी मामला उल्लेखित नहीं है या स्पष्ट नहीं है, उस पर आरक्षण नियम, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।
9. नियोजित उम्मीदवारों को उचित माध्यम से आवेदन करना है। अग्रिम आवेदन के मामले में साक्षात्कार के समय **"अनापत्ति प्रमाण पत्र"** अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा और **अनापत्ति प्रमाण पत्र** जमा करने के लिए समय का विस्तार नहीं दिया जाएगा।
10. प्रोफार्मा के अनुसार पूर्ण जानकारी का अभाव, अपेक्षित आवेदन शुल्क का भुगतान न करना तथा आवेदन जमा करने के पश्चात प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां जमा न करने पर आवेदन को बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा।
11. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र में अपना सही तथा सक्रिय ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नं. भरें एवं संस्थान की वेबसाइट को अक्सर देखते रहें, क्योंकि संस्थान द्वारा सभी पत्राचार ई-मेल/वेबसाइट के माध्यम से किए जाएंगे।
12. अनुभव प्रमाण पत्र दावा किए गए संपूर्ण अनुभव के लिए संगठन/विभाग के प्रमुख से होना चाहिए, जिसमें अनुभव की अवधि ('से' - 'तक'), अनुभव की प्रकृति (शिक्षण तथा/अथवा अनुसंधान) आदि स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हों।
13. अभ्यर्थी को केवल उन शिक्षण अनुभवों का उल्लेख करना चाहिए जो एमसीआई/एनएमसी/डीसीआई/आईएनसी/राज्य नर्सिंग परिषद/एईआरबी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त हों, जहां भी लागू हो तथा आवेदन किए गए पद के लिए अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त किए गए हों।
14. आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुसंधान अनुभव परियोजना, संबंधित विषय में अनुक्रमित प्रकाशन (पब मेड पब्लिकेशन को प्राथमिकता दी जायेगी), अनुसंधान पेटेंट, पुस्तक अध्याय और सह-मार्गदर्शक की क्षमता में एम.डी./एम.एस./डी.एम./एम.सीएच/पीएच.डी.छात्रों को मार्गदर्शन दिया हुआ प्रमाणित होना चाहिए।
15. नियमित नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्षों के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। परिवीक्षा के दौरान, यदि उम्मीदवार का प्रदर्शन और आचरण संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है या उम्मीदवार के खिलाफ कदाचार/दुर्व्यवहार सहित गंभीर प्रकृति का कोई आरोप है और ये सच पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जाएंगी। परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर सेवाओं की पुष्टि की जाएगी।
16. सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों/प्रशंसापत्रों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी तथा हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो तथा अपेक्षित शुल्क के साथ निदेशक, आईजीआईएमएस, शेखपुरा, पटना-14 (बिहार) को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/ कूरियर द्वारा अवश्य पहुंचना चाहिए।
17. **"संस्थान डाक विभाग या कूरियर एजेंसी द्वारा की गई किसी चूक या देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा"। अपूर्ण आवेदन पत्र तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।**
18. **साक्षात्कार में भाग लेने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलेगा।**
19. **अभ्यर्थी को लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या तथा पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखना होगा।**
20. **संस्थान के निदेशक को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकार/स्वीकार करने या इस विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।**
21. **टाइपिंग त्रुटि सुधार योग्य है।**
22. **किसी भी परिस्थिति में शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**
23. **आवश्यकतानुसार पदों/रिक्तियों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।**
24. किसी भी रूप में सिफारिश करना अयोग्यता होगी।

नोट :- हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ्य में विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

ह/.

निदेशक, आईजीआईएमएस, पटना-14

बस्तर पंडुम 2025 : समृद्ध लोककला, रीति-रिवाज, पारंपरिक जीवनशैली का भव्य सांस्कृतिक महोत्सव

"बस्तर पंडुम 2025" छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आयोजित होने वाला एक भव्य सांस्कृतिक महोत्सव है, जिसका उद्देश्य बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, लोककला, परंपराओं और जीवनशैली को संरक्षित करना, नई पीढ़ी तक पहुँचाना और इसे वैश्विक मंच पर पहचान दिलाना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर यह उत्सव, 12 मार्च 2025 को प्रारंभ हुआ और 5 अप्रैल 2025 को दंतेवाड़ा में इसका समापन हुआ।

बस्तर की सांस्कृतिक अस्मिता को समर्पित 'बस्तर पंडुम 2025' का समापन 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी में यह आयोजन ऐतिहासिक बन गया। शाह ने कहा, "बस्तर अब माओवाद नहीं, महोत्सवों की पहचान बनेगा। सरकार हर उस हाथ को थामने को तैयार है, जो बंदूक छोड़कर विकास का रास्ता अपनाना चाहता है।"

अगले साल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन

शाह ने ऐलान किया कि बस्तर पंडुम को अगले वर्ष से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें देशभर के जनजातीय समुदाय भाग लेंगे। यह आयोजन न केवल बस्तर की लोकसंस्कृति को वैश्विक पहचान देगा, बल्कि पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा।

हस्तशिल्प और लोककला को मिला मंच

12 मार्च से 5 अप्रैल तक 45 दिन चले इस उत्सव में घड़वा कला, ढोकरा शिल्प, गोदना चित्रकला, लकड़ी व लौह शिल्प, पारंपरिक आभूषण और गोंडी भित्तिचित्र जैसे लोककलाओं की प्रदर्शनी ने सभी को आकर्षित किया। कलाकारों ने अपने उत्पादों की बिक्री कर अच्छी आमदनी भी की।

क्या है 'बस्तर पंडुम 2025'

"पंडुम" मतलब "बस्तर का उत्सव" गोंडी भाषा में "पंडुम" का अर्थ होता है "उत्सव"। यह आयोजन बस्तरवासियों की उत्सवधर्मिता, पारंपरिक जीवनशैली और लोक चेतना को अभिव्यक्त करने का माध्यम बना।

बदलते बस्तर की गूंज, हर कोने में

"बस्तर अब भय नहीं बल्कि भविष्य का पर्याय बन चुका है। पहले नक्सलियों के आतंक के कारण राजनेताओं को रैली और सभा करने से रोक लिया जाता था, लेकिन वक्त बदल चुका है। आज वे 50,000 आदिवासी भाई बहनों के सामने रामनवमी, अष्टमी और बस्तर पंडुम महोत्सव मना रहे हैं।"

श्री अमित शाह,
केन्द्रीय गृह, सहकारिता मंत्री

बस्तर के भाग्य को बदलेगा बस्तर पंडुम

"बस्तर पंडुम केवल उत्सव नहीं, यह एक आंदोलन है, जो बस्तर को शांति, समृद्धि और विकास की राह पर ले जा रहा है। जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद मुक्त होगा और एक विकसित, खुशहाल राज्य के रूप में प्रतिष्ठित होगा। हर घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी। सभी कलाकारों को बधाई और शुभकामनाएं।"

श्री विष्णु देव साय,
मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़

'बस्तर पंडुम 2025' तीन चरणों में

- जनपद स्तरीय प्रतियोगिता: 12 मार्च से 20 मार्च 2025 तक।
- जिला स्तरीय प्रतियोगिता: 21 मार्च से 23 मार्च 2025 तक।
- संभाग स्तरीय प्रतियोगिता: 1 अप्रैल से 3 अप्रैल 2025 तक, दंतेवाड़ा में।

47000 कलाकारों ने लिया भाग

'बस्तर पंडुम 2025' जिसमें 12 जिलों की 1850 ग्राम पंचायतों, 12 नगर पंचायतों, 8 नगर परिषदों और 1 नगर पालिका से कुल 47000 कलाकारों ने भाग लिया।

सात प्रमुख विधाओं में प्रतियोगिता

- जनजातीय नृत्य: बस्तर के पारंपरिक नृत्य जैसे राउत नाच, गौर नृत्य आदि।
- गीत: स्थानीय जनजातीय गीत जो बस्तर की संस्कृति को दर्शाते हैं।
- नाट्य: परंपरागत नाटक और कथाएँ जो लोककथाओं पर आधारित हैं।
- वाद्ययंत्र: ढोल, मांदर, तुरही जैसे पारंपरिक वाद्ययंत्रों का प्रदर्शन।
- पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण: बस्तर की जनजातियों की अनूठी पोशाकें और गहने।
- शिल्प और चित्रकला: हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन, और बस्तर की प्रसिद्ध लकड़ी व धातु की कलाकृतियाँ।
- जनजातीय व्यंजन और पेय: सल्फी, ताड़ी, और स्थानीय व्यंजनों का प्रदर्शन।

विजेताओं को विशेष पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गया, जिससे स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। आगामी वर्ष से इसे 12 श्रेणियों में विस्तारित किया जाएगा।

"बस्तर पंडुम 2025" महोत्सव के कई प्रमुख लक्ष्य हैं, जो बस्तर की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उन्नति से जुड़े हैं। ये लक्ष्य छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शिता और स्थानीय समुदायों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

1. सांस्कृतिक संरक्षण और प्रचार:
- बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, लोककला, नृत्य, संगीत, शिल्प और परंपराओं को संरक्षित करना और नई पीढ़ी तक पहुँचाना।
- बस्तर की लगभग 35 से अधिक जनजातियों की अनूठी पहचान को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना।

2. पर्यटन को बढ़ावा देना:
- बस्तर के प्राकृतिक सौंदर्य (जैसे चित्रकूट जलप्रपात, इंद्रावती नदी) और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर कर पर्यटकों को आकर्षित करना।
- इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

3. स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना:
- बस्तर के कलाकारों, शिल्पकारों और जनजातीय समुदायों को अपनी कला और प्रतिभा करने का अवसर देना।
- प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजेताओं को पुरस्कार और मान्यता प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करना।

4. शांति और विकास की स्थापना:
- बस्तर को माओवाद और नक्सलवाद के प्रभाव से मुक्त करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाना।
- सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए स्थानीय लोगों में शासन के प्रति विश्वास बढ़ाना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना।

5. आर्थिक सशक्तिकरण:
- पारंपरिक शिल्प, व्यंजन और उत्पादों के प्रदर्शन से स्थानीय कारीगरों और व्यापारियों को आर्थिक लाभ पहुँचाना।
- बस्तर की हस्तकला और जनजातीय व्यंजनों को बाजार में पहचान दिलाना।

6. सामाजिक एकता को बढ़ावा:
- विभिन्न जनजातियों और समुदायों को एक मंच पर लाकर आपसी भाईचारा और एकता को मजबूत करना।
- बस्तर के लोगों में अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति गर्व की भावना जागृत करना।

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित,
छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो